Business Laws

BC - 201

External : 80

Internal : 20

Time : 3 Hours

Note : Ten questions shall be set in the question paper with at least three questions from each unit. The candidates shall be required to attempt five questions in all, selecting at least one question but not more than two from each unit.

Unit - I The Indian Contract Act, 1872 : Nature of contract; Classification; Offer and acceptance; Capacity of parties to contract; Free consent; Consideration; Legality of object; Agreement declared void; Performance of contract; Discharge of contract, Remedies for breach of contract.

Special Contracts : Indemnity; Guarantee; Bailment and pledge; Agency.

Unit - II Sale of Goods Act, 1930 : Formation of contracts of sale; Goods and their classification, price; conditions, and warranties; Transfer of property in goods; Performance of the contract of sales, Unpaid seller and his rights, sale by auction; Hire purchase agreement.

Partnership Act, 1932, An Overview of Right to Information Act, 2005 (RTI).

Unit - III Negotiable Instrument Act, 1881: Definition of negotiable instruments; Features; Promissory note; Bill of exchange & cheque; types of crossing; Dishonour and discharge of negotiable instrument.

The Consumer Protection Act, 1986: Salient features; Definition of consumer; Grievance redressal machinery.

Foreign Exchange Management Act, 2000 : Definitions and main provisions.

Suggested Readings:

1. Chadha, P.R. : Business Law, Galgotia, New Delhi.
2. Desai T.R. : Indian Contract Act, Sale of Goods Act and Partnership Act, S.C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., Kolkata.
3. Khergsamwala, J.S. : The Negotiable Instrument Act; N.M. Tripathi, Mumbai.
4. Kuchhal, M.C. : Business Law, Vikas Publishing House, New Delhi.
5. Kapoor, N.D. : Business Law, Sultan Chand & sons, New Delhi.
6. Singh, Avtar : The Principles of Mercantile Law, Eastern Book Company, Lucknow.

Directorate of Distance Education
Kurukshetra University
Kurukshtra-136 119

B.Com - II

BC - 201 Business Laws

No.	Topic	Writer	Page No.
1.	Definition and nature of Contract and Offer and Acceptance	Parveen Khurana	5-26
2.	Lawfull Consideration and Legality of 1 Object and Contractual Capacity of the Parties	Parveen Khurana	27-42
3.	Free Consent of Parties	Parveen Khurana	43-60
4.	Termination of Contract and Consequences of Breach of Contract	Parveen Khurana	61-82
5.	Contract of Indemnity and Guarantee	Parveen Khurana	83-100
6.	Contracts of Bailment and Pledge	Parveen Khurana	101-116
7.	Contracts of Agency	Parveen Khurana	117-138
8.	Sales of Goods Act, 1930	Parveen Khurana	139-154
9.	Negotiable Instrument Act - 1881	Parveen Khurana	155-172
10.	Consumer Protection Act, 1986	Parveen Khurana	173-186
11.	Foreign Exchange Management Act - 2000	Parveen Khurana	187-200

B.Com - II

Paper : BC-201 Business Laws *Revised by* : **Parveen Khurana**

Lesson No : 1

अनुबन्ध की परिभाषा एवं प्रकृति तथा प्रस्ताव एवं स्वीकृति

(Definition and Nature of Contract and Offer and Acceptance)

अध्याय की रूपरेखा (Sturecture of the Lesson)

1. परिचय (प्रस्तावना)
2. उद्देश्य
3. विषय का प्रस्तुतीकरण
   - 3.1 परिभाषाएँ
     - 3.1.1 प्रस्ताव
     - 3.1.2 स्वीकृति एवं वचन
     - 3.1.3 वचनदाता एवं वचनग्रहीता
     - 3.1.4 प्रतिफल
     - 3.1.5 ठहराव
     - 3.1.6 पारस्परिक वचन
     - 3.1.7 व्यर्थ ठहराव
     - 3.1.8 अनुबन्ध
   - 3.2 वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षण
   - 3.3 ठहराव के प्रकार
   - 3.4 अनुबन्ध के प्रकार
     - 3.4.1 वैधानिकता के आधार पर अनुबन्ध के प्रकार
     - 3.4.2 निर्माण के आधार पर अनुबन्ध के प्रकार
     - 3.4.3 सम्पादन के आधार पर अनुबन्ध के प्रकार
   - 3.5 प्रस्ताव एवं स्वीकृति
     - 3.5.1 प्रस्ताव
     - 3.5.2 प्रस्ताव करने का ढंग
     - 3.5.3 प्रस्ताव किसको किया जा सकता है
   - 3.6 वैध प्रस्ताव के लिये आवश्यक बातें
   - 3.7 प्रस्ताव की समाप्ति

3.8 प्रस्ताव की स्वीकृति
3.8.1 स्वीकृति कौन कर सकता है
3.8.2 स्वीकृति के वैधानिक नियम
3.8.3 बिना संवहन के वैध स्वीकृति
3.9 प्रस्ताव, स्वीकृति एवं खण्डन का संवहन
3.9.1 प्रस्ताव का खण्डन
3.9.2 स्वीकृति का खण्डन
3.9.3 स्वीकर्त्ता के विरुद्ध
3.9.4 खण्डन का संवहन
सारांश
प्रस्तावित पुस्तकें
नमूने के लिए प्रश्न

1. परिचय (Introduction)

अनुबन्ध अधिनियम व्यापारिक सन्नियम की महत्त्वपूर्ण शाखा है। इनके बिना व्यावसायिका क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण लगभग असंभव है। अनुबन्ध अधिनियम में अनुबन्ध का अर्थ एवं प्रकृति जानना अत्यन्त अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना विषय का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके लिये इसके अन्तर्गत प्रयोग आने वाले आधारभूत शब्दों को जानना आवश्यक है जिनका यहाँ इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इसी तरह से अनुबन्ध व ठहराव के विभिन्न प्रकारों को बताया गया है।

एक अनुबन्ध का आधार प्रस्ताव तथा स्वीकृति होते हैं। प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने के बारे में हो सकता है तथा स्वीकृति इसी संदर्भ में दी जाती है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति का वैधानिक अर्थ एवं प्रभाव इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार प्रस्ताव तथा स्वीकृति के खण्डन की जानकारी भी इसमें दी गई है।

2. उद्देश्य (Objective)

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य-पाठकों को भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करना है। इसमें प्रयोग की जाने वाली आधारभूत परिभाषाओं से पाठकों को परिचित करवाना है तथा एक वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षणों का महत्व समझाना भी इस अध्याय का उद्देश्य है।

इसी संदर्भ में प्रस्ताव तथा स्वीकृति का अर्थ, प्रकृति तथा लक्षण बताना तथा समझाना इस अध्याय का उद्देश्य है। इसी तरह से प्रस्ताव तथा स्वीकृति की वैधानिकता का क्या अर्थ एवं प्रभाव होता है, यहाँ समझने का प्रयास किया गया है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति का खण्डन किस प्रकार से हो सकता है इसकी जानकारी भी पाठकों को प्रदान की जा रही है। अत: इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् पाठक अनुबन्ध 'के बारे' में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रस्ताव एवं स्वीकृति का विस्तृत ज्ञान पाठकों को प्राप्त हो सकेगा।

3. विषय का प्रस्तुतिकरण

अनुबन्ध अधिनियम व्यापारिक सन्नियम की सबसे महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसके बिना व्यापारिक क्रियाओं का चलना अत्याधिक कठिन हो गया। इस अधिनियम का महत्त्व केवल व्यापारियों के लिये ही नहीं बल्कि यह समान के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। 'भारतीय अनुबन्ध अधिनियम' ब्रिटिश संसद द्वारा सन् 1871 में बनाया गया था। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अधिनियम का नाम 'भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872' है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। यह 1 सितंबर सन् 1872 से लागू हुआ।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम को दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला भाग अनुबन्ध के सामान्य सिद्धान्तों (धारा 1 से 75) से संबंधित है तथा दूसरा भाग (धारा 124 से 238) कुछ विशेष प्रकार के अनुबन्धों जैसे- हानि, दशा तथा प्रत्याभूति, निक्षेप, ऐजेन्सी आदि से संबंधित है। 1930 से पूर्व विक्रय से संबंधित व्यवहारों पर भी भारतीय अनुबन्ध अधिनियम लागू होता था परन्तु सन् 1930 से वस्तु विक्रय से संबंधित सन्नियम को भारतीय अनुबन्ध अधिनियम से निरस्त करके एक नया 'वास्तुविक्रय अधिनियम' बनाया गया। सन् 1932 में भारतीय अनुबन्ध अधिनियम में से साझेदारी से संबंध रखने वाले अध्याय को भी निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया अधिनियम 'साझेदारी अधिनियम' बनाया गया।

3.1 परिभाषाएँ

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 को अच्छी प्रकार समझने के लिये यह आवश्यक है कि उन सब शब्दों के अर्थों को समझ लिया जाये जो इस अधिनियम में बार-बार प्रयुक्त किये गये हैं। इन शब्दों की परिभाषाएँ अधिनियम की धारा 2 में दी गई है जिनका उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है-

3.1.1 (अ) प्रस्ताव (Proposal) – "जब एक व्यक्ति किसी दूसरे से किसी काम को करने या करने के संबंध में अपनी इच्छा इस ध्येय से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उस काम को करने या न करने के लिये अपनी स्वीकृति दे तो उसे प्रस्ताव कहते हैं।" - Sec, 2(a)

3.1.2 (ब) स्वीकृति एवं वचन (Acceptance and Promise) – "जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, अपनी सहमति दे देता है तो ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया माना जायेगा, अर्थात् यह प्रस्ताव की स्वीकृति होगी। जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वचन कहलाने लगता है।" धारा 2(b)

उदाहरण- यदि 'राम सिंह' राम चन्द्र से कहे क्या तुम मेरी गाय 900 रू. में खरीदोगे? तो हम कहेंगे कि राम सिंह ने रामचन्द्र के सामने प्रस्ताव रखा है। यदि रामचन्द्र इस संबंध में यह कई कि हाँ मैं तुम्हारी गाय 900 रू. में खरीदने को तैयार हूँ तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव रामचन्द्र ने स्वीकार कर लिया है।

3.1.3 (स) वचनदाता व वचन ग्रहीता (Promiser and Promisee) – वह व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है उसे 'वचनदाता' कहते हैं और जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है, उसे 'वचनग्रहीता' कहते हैं। धारा 2(c)

3.1.4 (द) प्रतिफल (Consideration) – "जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य हो या करने को विरत रहा हो या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन, उस वचन का प्रायफल कहलाता है।" धारा 2 (d)

3.1.5 (य) ठहराव (Agreement) – "प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समय जो एक-दूसरे के लिये प्रति फल हो, ठहराव कहलाते हैं। धारा 2 (e)

"Every promise or series of promises, forming the consideration for each other, is an agreement. Sec. 2(e)

3.1.6 (र) पारस्परिक वचन (Reciprocal Promises) – "ऐसे वचन जो दोनों के लिये कुछ प्रतिफल या प्रतिफल का कुछ भाग रखते हो, पारस्परिक वचन कहलाते हैं।" धारा 2(f)

3.1.7 (ल) व्यर्थ ठहराव (Void Agreement) – "ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है।" धारा 2(g)

3.1.8 (ब) अनुबन्ध (Contract) – "ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबन्ध कहलाता है।" धारा 2(h)

Definition of Contract - A contract is a legally binding agreement. In other words, an agreement which will be enforced by the courts becomes a contract. Section 2(b) of Indian Contract Act defines contract and section 10 describes the essentials of a valid contract. Moreover, some great judges have also defined contract of the basis of their knowledge. Some of the definitions are as follows :

(1) सालण्ड के अनुसार – "कोई भी ठहराव जो पक्षकारों के बीच दायित्व पैदा करे और उसकी व्याख्या करे, अनुबन्ध कहलाता है। "Contract is an agreement creating and defining obligations between the arties." Salmond.

(2) लीक के अनुसार, "अनुबन्ध वैधानिक अनुबन्ध होने के उद्देश्य से एक ठहराव है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ निष्पादन के लिये बाध्य होगा, जिसको प्रवर्तित करने के लिये दूसरे पक्षकार को वैधानिक अधिकार होगा।" "An agreement as the source of legal contract imparts that one party shall be bound to some performance which the other shall have a legal right to enforce." Leake.

सालमंड द्वारा दी गई परिभाषा ठहराव की वैधानिकता के विषय पर कोई प्रकाश नहीं डालती तथा इसमें दायित्व को स्पष्ट नहीं किया है। अत: यह परिभाषा पूर्णत: सही नहीं है।

(3) अनुबन्ध अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा– भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 3(h) के अनुसार, "अनुबन्ध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है।"

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार अनुबन्ध में दो तत्त्वों का होना अनिवार्य है –

(i) ठहराव का होना, और

(ii) ठहराव से ऐसे दायित्व का उत्पन्न होना जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो।

अनुबन्ध अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो पक्षकारों के मध्य हुए ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना एक आवश्यक शर्त है अन्यथा वह ठहराव अनुबन्ध का रूप नहीं ले सकेगा। जैसा कि सालमण्ड ने कहा है, "अनुबन्ध केवल उन्हीं ठहरावों का अधिनियम है जो दायित्वों का अधिनियम है जिनका स्रोत ठहराव होता है।" दायित्व उस वैधानिक बंधन को कहते हैं जो निर्धारित मनुष्य या मनुष्यों पर किसी विशेष कार्यों को करने या किन्हीं विशेष कार्यों को करने से विरत रहने का भार डालता है। दायित्व दो व्यक्तियों के बीच विशेष कार्यो के बारे में और वैधानिक बातों का होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ठहराव वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते इस कारण वे

अनुबन्ध नहीं होते। उदाहरणतया, सामाजिक दायित्व उत्पन्न करने वाला ठहराव अनुबन्ध नहीं होता। इसलिये यह कहा जाता है। "सभी अनुबन्ध ठहराव होते हैं परन्तु सभी ठहराव अनुबन्ध नहीं होते।" (All controcts are agreement but all agreements are not contracts) इसी प्रकार से कुछ अन्य दायित्व होते हैं, जैसे- टॉर्ट (Torts), गर्भित अनुबन्ध (Quasi Contracts) एवं न्यायालयों के निर्णय (Judgements of Courts) यद्यपि ये दायित्व अनुबन्ध नहीं होते फिर भी प्रवर्तनीय होते हैं।

3.2 वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षण (Essentials of a Valid Contract)

वैध अनुबन्ध की परिभाषा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 10 में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिये कुछ बातों का होना आवश्यक है। इस धारा (10) के अनुसार, (All agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties, competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object are not expressly declared to be void." The following are the essentials of a valid contract).

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति (Offer and Acceptance) – सबसे पहला वे महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि पक्षकारों के मध्य ठहराव होना चाहिए अर्थात् एक पक्षकार (अथवा पक्षकारों) द्वारा दूसरे पक्षकार (या पक्षकारों) के सामने प्रस्ताव रखा जाना चाहिए तथा दूसरे पक्षकार या पक्षकारों द्वारा उस प्रस्ताव को उचित रीति से स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

इस प्रकार = ठहराव + स्वीकृति

प्रस्ताव तथा स्वीकृति वैध होनी चाहिए। वैध (Lawful) शब्द का आशय अधिनियम में प्रस्ताव एवं स्वीकृति के संबंध में दिये गये नियमों से है। अनुबन्ध में प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में मौन (Silent) रहने का कोई महत्त्व नहीं है। सहमति का प्रस्तावक को संवहन अवश्य होना चाहिए। (Acceptance must be communicated)

उदाहरणार्थ– राम ने मोहन के सामने अपनी घड़ी 500 रुपये में बेचने के लिये प्रस्ताव रखा जो मोहन ने स्वीकार कर लिया तो यह दोनों के बीच वैध ठहराव बन गया। अगर यहाँ मोहन, राम के प्रस्ताव को मन ही मन स्वीकार कर लेता है तथा उसके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं भेजता है तो यह ठहराव वैध ठहराव नहीं बन सकता क्योंकि विधानानुसार स्वीकृति का प्रस्तावक के पास संवहन अवश्य होना चाहिये। स्वीकृति हो जाने के बाद प्रत्येक प्रस्ताव वचन अथवा ठहराव बन जाता है।

2. पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा (Legal Relationship among the Parties) – जब दो पक्षकार आपस में कोई ठहराव (Agreement) करना चाहते हैं तो इनमें इन्हें वैधानिक रूप देने की इच्छा होनी चाहिये। क्योंकि वैध ठहराव पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध तथा दायित्व का निर्माण करता है। यह संभव है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करे परन्तु उन दोनों पक्षों के मध्य कोई कानूनी संबंध का निर्माण न हो। यदि पक्षकार सामाजिक या राजनैतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखते हैं तो यह वैध अनुबन्ध व ठहराव नहीं बन सकते।

For Example, Please come to my house", says Amita to Sunil, "and we shall go out for a walk together." Sunil came to the house of Amita could not leave the house because of some important engagement. Sunil cannot sue Amita in damages for her not fulfilling the promise, the reason being that there had been no intention between Sunil and Amita to create any legal obligation by engagement as made between them.

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून की नजर में ऐसे ठहराव जिसमें पक्षकारों के मध्य कानूनी संबंध बनाने की इच्छा का अभाव हो उनका कोई महत्त्व नहीं अर्थात् उनको प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। सामान्यतया व्यावसायिक क्षेत्र में प्रत्येक अनुबन्ध का उद्देश्य कानूनी संबंध का निर्माण करना माना जाता है।

(3) पक्षकारों के मध्य अनुबन्ध करने की क्षमता (Competancy of Parties) – एक 'ठहराव' को वैध अनुबन्ध होने के लिये आवश्यक है कि वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये जो वैधानिक अनुबन्ध करने की क्षमता रखते हो। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार केवल निम्नलिखित व्यक्ति अनुबन्ध करने योग्य हैं–

(i) व्यस्क (Major) (ii) स्वस्थ मस्तिष्क (Sound mind) का है तथा (iii) किसी कानून के अन्तर्गत अनुबन्ध करने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मस्तिष्क की अस्वस्थता के अन्तर्गत पागल, मूर्ख तथा पैदायशी बेवकूफ तथा शराबी को रखते हैं। राजदूत, राष्ट्रपति, मन्त्री दिवालिया आदि अनुबन्ध करने के लिये प्राय: अयोग्य व्यक्ति हैं।

(4) पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति (Free Consent) – एक ठहराव के वैध अनुबन्ध बनने के लिये पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति होनी चाहिये। धारा 13 के अनुसार सहमति का अर्थ पक्षकारों का एक ही बात पर, एक ही भाव से सहमति होना है। सहमति का अर्थ है कि पक्षकार अनुबन्ध की महत्त्वपूर्ण शर्त को अच्छी तरह समझ कर स्वीकार करने या मानने को तैयार हुआ है। 'सहमति' केवल उसी दशा में 'स्वतन्त्र' कहेंगे तब वह व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक के कारण नहीं की गई है –

(i) उत्पीड़न (Coercion) - Sec. 15

(ii) अनुचित प्रभाव (Undue Influence) Sec. 16

(iii) कपट (Fraud) Sec. 19

(iv) मिथ्या वर्णन (Misrepresentation) Sec. 18

(v) गलती (Mistake) Sec. 20, 21, 22

(5) वैध प्रतिफल (Lawful Consideration) – ठहराव का अनुबन्ध होने के लिये आवश्यक है कि उसका प्रतिफल वैध तथा वास्तविक हो। यहाँ यह जानना जरूरी है कि प्रतिफल नकद या वस्तु के रूप में ही हो यह आवश्यक नहीं है। प्रतिफल कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से विरत रहना या किसी कार्य को करने या न करने के वजन के रूप में भी हो सकता है।

धारा 25 के अनुसार बिना प्रतिफल के तो कोई भी अनुबन्ध वैध नहीं होगा। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद है जैसे स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर किया गया अनुबन्ध, ऐजेन्सी के अनुबन्ध, नि:शुल्क निक्षेप आदि।

(6) उद्देश्य की वैधता (Legality of Object) – भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी समझौता उसी समय अनुबन्ध कहा जा सकता है जब प्रतिफल के साथ-साथ उद्देश्य भी वैद्य है अर्थात् यदि प्रतिफल वैधानिक हो और उद्देश्य अवैध हो तो ऐसी दशा में वह अनुबन्ध नहीं होगा। उद्देश्य निम्न दशाओं में अवैध होते हैं–

(i) जब वह किसी अधिनियम द्वारा वर्जित हो (Forbidden by Law) जैसे विवाह में रूकावट डालने वाले ठहराव, चोरी का धन बाँटने के बारे में किया गया अनुबन्ध आदि।

(ii) यदि अनुबन्ध कपटमय हो (If it is fraudulent)

(iii) यदि उससे दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो।

(iv) यदि एक लोकनीति के विरुद्ध हो।

(v) यदि इस अनुबन्ध से किसी अन्य अधिनियम के आदेशों का पालन नहीं होता है।

(7) लिखित एवं रजिस्टर्ड (Written and Registered) – एक अनुबन्ध मौखिक व बिना पंजीयन के भी वैध हो सकता है लेकिन उनका लिखित रूप में होना तब अवश्य हो जाता है जब ऐसा करना किसी अन्य भारतीय अधिनियम द्वारा जरूरी कर दिया गया हो। निम्नलिखित अनुबन्धों का लिखित होना अनिवार्य है।

(i) अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का ठहराव (ii) बीमे के अनुबन्ध (iii) पंचनिर्णय समझौता (iv) विनिमय साध्य विलेख (v) तीन वर्ष से अधिक के पट्टे के ठहराव।

सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम (Transfer of Property Act) के अन्तर्गत अचल संपत्ति का बंधक या बिक्री एवं कंपनी अधिनियम के अनुसार पार्षद सीमा नियम की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। यद्यपि बहुत-सी दशाओं में अनुबन्ध का लिखित होना आवश्यक नहीं है फिर भी यदि यह लिखित रूप में हो तो भविष्य में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अत: ये लिखित में ही होने चाहिए।

(8) अनुबन्ध का अर्थ निश्चित हो (Certainty of Agreement) – किसी भी अनुबन्ध के वैध होने के लिये एक आवश्यक शर्त यह है कि उसमें निश्चितता हो। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित न हो या उसे निश्चित नहीं किया जा सकता हो उनको राजनियम के अन्तर्गत प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है।

(9) निष्पादन की संभावना (Possibility of Performance) – ठहराव के वैध तथा प्रवर्तनीय होने के लिये यह आवश्यक है कि उसको पूरा किया जाना संभव हो। यदि ठहराव ऐसा है जिसका निष्पादन संभव नहीं है तो वह वैध अनुबन्ध नहीं बन सकता। अत: जादू के द्वारा बनी वस्तु, मरे हुए को पुन: जीवित करने तथा एक पल में आलीशान बंगले का निर्माण करने संबंधी ठहराव असंभव होने के कारण व्यर्थ होंगे। ऐसे अनुबन्धों के लिये न्यायालय की मदद नहीं मिल सकती।

(10) ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो (Expressely declared not be void) – ठहराव ऐसा न हो, जिसे अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ (void) घोषित कर दिया गया हो; भारतीय अनुबन्ध अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रकार के ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ (void) घोषित कर दिये गये हैं, जैसे-

(i) जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर है। (धारा 20)

(ii) व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव (धारा 27)।

(iii) वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव (धारा 28)।

(iv) ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं है, अथवा निश्चित नहीं किया जा सकता (धारा 29)।

(v) ऐसे ठहराव जिनका प्रतिफल या उद्देश्य अवैध हो।

(vi) बाजी लगाने के रूप में किये ठहराव।

(vii) अव्यस्क (Minor) अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किये गये ठहराव। (धारा)

All the elements mentioned above must be present in order to make a valid contract. If any one of them is absent, the agreement does not become a contract.

3.3 ठहराव के प्रकार (Type of Agreement)

ठहराव निम्न पाँच प्रकार के होते हैं :

(1) वैध ठहराव (Valid Agreement) : An agreement enforceable at a law is valid contract. It becomes a contract when all the essentials of a valid contract as laid down in section 10 are fulfilled, Mr. Rajesh offers to sell his motorcar for Rs. 40,000 to Mrs. Sumeet. Sumeet agrees to buy it for this price. It is a valid contract.

(2) व्यर्थ ठहराव (Void Agreement) : According to 2(g), "An agreement not enforceable by law is said to be void. Such an agreement have no relevance in the eyes of law. These kind of agreement neither obligation and obligation nor provide any right. These are void from the very beginning. For example X and Y are traders of wheat in Kurukshetra. X has a godown in Dhand (Krukshetra). Y agreed to sell 2000 quintals of wheat stored in his godown of Kaithal. But his godown caught fire and all the wheat got burnt - before the contract was made. But none of them was aware about this fact. Therefore, this will be a void contract as both the parties were at mistake about the subject matter of contract.

(3) व्यर्थनीय ठहराव (Voidable Contract) – "An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other to others, is a voidable contract." In case a contract is influenced by fraud, coercion, undue influence and misrepresentation then that is called voidable agreement or contract.

(4) अप्रवर्तनीय ठहराव (Unenforcable Agreement) – it is an agreement which is otherwise vaild, but cannot be enforced because of some technical defect like absence of a written form or absence of a proper stamp. Such contracts cannot be used upon by one or both of the parties.

Example- R borrows Rs. 5000 from S and makes a promissory note and a 50 paise stamp is pasted on the pronote. The agreement though complete is unenforceable because of the techinical defect i.e. promissory note being understamped.

(5) अवैधानिक ठहराव (Illegal Agreement)– All those agreement are illegal which are immoral. All of the void agreement are not illegal. For example, the contracts by way of wager are not illegal but are void agreement.

3.4 अनुबन्ध के प्रकार (Type of Contract)

3.4.1 A Classification according to validity-

(1) वैध अनुबन्ध (Valid Contract)

(2) व्यर्थ अनुबन्ध (Void Contract)

(3) व्यर्थनीय ठहराव (Voidable Contract)

(4) अवैधानिक ठहराव (illegal Contract)

(5) अप्रवर्तनीय ठहराव (Unenforceable Contract)

(1) वैध अनुबन्ध (Valid Contract)– वैध अनुबन्ध की परिभाषा अधिनियम की धारा 10 में दी गई है जिसे हम इस अध्याय में पहले ही समझा चुके हैं।

(2) व्यर्थ अनुबन्ध (Void Contract)– जब किसी अनुबन्ध का प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत न करवाया जा सकता हो तो वह अनुबन्ध व्यर्थ हो जाता है। अतः व्यर्थ अनुबन्ध से अभिप्राय ऐसे अनुबन्ध से है जो किसी कारण भविष्य में राजनियम द्वारा अप्रवर्तनीय हो जाता है। यद्यपि यह अनुबन्ध प्रारंभ में प्रवर्तनीय था। उदाहरण के लिये जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के बारे में गलती पर होते हैं तो ठहराव व अनुबन्ध व्यर्थ होगा। जैसे एक गाय को 'अ' 'ब' को बेचने का अनुबन्ध कर रहा है जिसे ये दोनों पक्षकार जीवित मान रहे हैं क्योंकि गाय खेत में घास चरने गई हुई थी व स्वस्थ थी। लेकिन अनुबन्ध के पूरा होने से पहले ही गाय अचानक मर जाती है जिसको दोनों ही पक्षकारों की जानकारी नहीं थी। तो वह अनुबन्ध व्यर्थ होगा तथा कानून के द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता क्योंकि अनुबन्ध के पक्षकार गलती पर थे।

(3) व्यर्थनीय ठहराव (Voidable Contract) – धारा 2(i) के अनुसार जब कोई ठहराव एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है परन्तु दूसरे पक्षकार य पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं होता तो इसे व्यर्थनीय ठहराव या अनुबन्ध कहते हैं। जब ठहराव छल या कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन या बल प्रयोग के आधार पर किया जाता है, तो उसे व्यर्थनीय ठहराव या अनुबन्ध कहा जाता है। ऐसे ठहराव के अन्तर्गत एक पक्षकार, जिसकी सहमति इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित बातों के आधार पर प्राप्त की गई है, ठहराव उसकी इच्छा पर व्यर्थनीय हो जाता है। वह चाहे तो ठहराव को वैध घोषित करे अथवा उसे निरस्त कर दे।

(4) अवैधानिक ठहराव (Illegal Contract) – यहाँ पर यदि अवैधानिक अनुबन्ध के स्थान पर अवैधानिक ठहराव शब्द का प्रयोग किया जाये तो वह अधिक उचित होगा। जब किसी ठहराव के द्वारा लोकनीति (Public Policy) के किसी नियम का पालन न किया गया हो या वह ठहराव किसी अपराध से संबंधित हो या अनैतिक हो तो उसे अवैधानिक ठहराव कहेंगे। इन ठहरावों को करने वाले दण्ड के भागी होते हैं यहाँ इस बात का ध्यान अवश्य रहे कि सभी अवैधानिक ठहराव व्यर्थ होते हैं, किन्तु व्यर्थ ठहराव अवैधानिक नहीं होते। जैसे बाजी के ठहराव व्यर्थ है परन्तु अवैधानिक नहीं है। व्यर्थ ठहराव की दशा में, भूल व्यवहार के व्यर्थ होने पर भी समानान्तर व्यवहार को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। परन्तु अवैधानिक ठहराव की दशा को मूल व्यवहार के साथ-साथ समान्तर लेन-देन भी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता।

उदाहरण– यदि 'X' ने एक अनुबन्ध 'Y' से यह किया कि यदि 'Y' 'Z' को जान से मार दे तो वह उसका एक लाख रुपये देगा। 'Y' ने 'Z' को मार दिया। 'X' ने एक लाख रुपये 'P' से उधार ले कर दे दिये। 'P' यह जानता था कि किस कारण रुपये उधार लिये गये हैं। 'X' और 'Y' के बीच का अनुबन्ध अवैधानिक है तथा समानान्तर व्यवहार 'X' और 'P' के बीच होगा।

(5) अप्रवर्तनीय अनुबन्ध – जब एक अनुबन्ध वैध है परन्तु तकनीकी दोष के कारण न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है तो ऐसे अनुबन्ध को अप्रवर्तनीय अनुबन्ध कहेंगे।

व्यर्थ ठहराव व व्यर्थनीय अनुबन्ध में अन्तर

(Distinction between Void Agreement and Voidable Contract)

(1) जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते वे व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं, जबकि व्यर्थनीय ठहराव वे हैं जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय होते हैं।

(2) व्यर्थ ठहराव आरंभ से अन्त तक व्यर्थ ही रहता है जबकि व्यर्थनीय अनुबन्ध आरंभ में वैधानिक होते हैं परन्तु पीड़ित पक्षकार के व्यर्थ घोषित करने पर ये व्यर्थ हो जाते हैं।

(3) कोई भी ठहराव- इसलिये व्यर्थ होता है कि उसमें वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षण या लक्षणों का अभाव है। दूसरी ओर कोई भी ठहराव व्यर्थनीय हो सकता है। जबकि वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन द्वारा किया गया हो अर्थात इसमें दूसरे पक्षकार की स्वतन्त्र सहमति का अभाव हो।

(4) व्यर्थ ठहराव की दशा से दूसरे पक्षकार को अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन व्यर्थनीय अनुबन्ध में तीसरे पक्षकार को उसका अधिकार मिल सकता है। यदि उसने मूल्य देकर तथा सद्भावना से वस्तु को प्राप्त किया है। तथा उसने इस ठहराव के व्यर्थ होने से पहले ही नये अनुबन्ध में प्रवेश कर लिया है।

(5) व्यर्थ अनुबन्ध का वर्णन धारा 2(g) में तथा व्यर्थनीय अनुबन्धों का वर्णन धारा 2(i) में किया गया है।

3.4.2 निर्माण के आधार पर अनुबन्ध के प्रकार

(i) स्पष्ट अनुबन्ध (Express Contract)

(ii) गर्भित अनुबन्ध (Implied Contract)

स्पष्ट अनुबन्ध और गर्भित अनुबन्ध- स्पष्ट ठहराव मौखिक या लिखित रूप में होता है। गर्भित ठहराव उस ठहराव को कहते हैं जो पक्षकारों के विचार, उनके काम के ढंग तथा वर्तमान दवा से उत्पन्न हो। ऐसे अनुबन्ध के लिये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखने व दूसरे द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये ठहराव अनुबन्ध नहीं होते परन्तु अधिनियम इन्हें राजनियम द्वारा गर्भित अनुबन्ध के समान ही कुछ संबंध (Certain relation resembling those created by contract) कहता है।

3.4.3 सम्पादन के आधार पर अनुबन्ध का वर्गीकरण
(Classification of Contract according to basis of Excution)

(i) एक पक्षीय अनुबन्ध और द्वि-पक्षीय अनुबन्ध

(ii) निष्पन्न और अनिष्पन्न अनुबन्ध

(i) एक पक्षीय अनुबन्ध और द्विपक्षीय अनुबन्ध – जब किसी ठहराव में एक पक्षकार की ओर से वचन या प्रतिफल का पालन हो जाता है तथा दूसरे पक्षकार को अपने वचन का पालन करना शेष रहता है तो ऐसे ठहराव को एक पक्षीय ठहराव कहते हैं।

उदाहरणार्थ- 'अ' 'ब' को 100 बोरी गेंहू 1 महीने के लिये उधार पर बेचता है और गेहूँ की सुपुर्दगी ठहराव करते समय ही कर देता है। अब केवल 'ब' को अपने वचन का पालन करना रह जाता है।

द्विपक्षीय ठहराव में दोनों ही पक्षकारों को अपने-अपने वचन का पालन करना शेष रहता है और प्रत्येक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन का प्रतिफल होता है। ऐसे वचनों को पारम्परिक वचन भी कहते हैं।

(ii) निष्पन्न और अनिष्पन्न अनुबन्ध – निष्पन्न ठहराव (Executed Agreement) – यह ठहराव जिसके अन्तर्गत दोनों पक्षकारों ने अपने-अपने वचनों को अनुबन्ध करते समय ही पूरा कर लिया जाता है। जैसे सुल्तान अपनी पुरानी स्कूटर राम कुमार को 8000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है। सुल्तान, रामकुमार को स्कूटर दे देता है और रामकुमार 8000 रुपये का भुगतान उसी समय कर देता है।

अनिष्पन्न ठहराव (Executory Agreement) – वह होता है जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार ने अपना वचन पूरा कर दिया हो और दूसरे ने नहीं। अनिष्पन्न अनुबन्ध एक पक्षीय अनुबन्ध से मिलता-जुलता है। ऊपर के उदाहरण में यदि सुल्तान ने अपनी स्कूटर रामकुमार को दे दी हो मगर रामकुमार ने रुपयों का भुगतान न किया हो तो उसे अनिष्पन्न ठहराव कहेंगे।

व्यर्थ ठहराव एवं अवैध ठहराव में अन्तर (Distinction between Void and Illegal Agreement)– इन दोनों ठहरावों में निम्नलिखित अन्तर है-

(1) सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं होते, लेकिन सभी अवैध ठहराव व्यर्थ होते हैं।

(2) व्यर्थ ठहराव के पक्षकार सजा भुगतने के भागी नहीं होते। अवैध ठहराव के पक्षकार सजा भुगतने के भागी हो सकते हैं।

(3) व्यर्थ ठहराव के समानान्तर ठहराव वैध माने जाते हैं जबकि अवैध ठहराव के समानान्तर व्यवहार राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

(4) व्यर्थ शब्द अवैध शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक है।

3.5 प्रस्ताव एवं स्वीकृति (Offer and Acceptance)

पहले अध्याय में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि एक ठहराव वैध अनुबन्ध तभी बन सकता है यदि इसमें एक वैध अनुबन्ध के सभी आवश्यक लक्षण हैं। वैध अनुबन्ध होने के लिये पहला आवश्यक लक्षण यह है कि पक्षकारों के बीच ठहराव होना चाहिये। ठहराव में एक व्यक्ति पहले प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उस काम को करने या न करने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करे तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है वचनग्रहीता कहलाता है। अत: प्रस्ताव से ही हर अनुबन्ध प्रारंभ होता है।

3.5.1 प्रस्ताव (Offer)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार, "जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी काम को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस ध्येय से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उस काम को करने या न करने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करे तो यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति एक प्रस्ताव रख रहा है।"

उदाहरण– प्रेम अपनी साइकिल 800 रुपये में मोहन को बेचने का प्रस्ताव रखता है। यह प्रेम की ओर से मोहन के लिये प्रस्ताव हुआ।

इस प्रकार, एक प्रस्ताव में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावक अपनी यह इच्छा व्यक्त करता है कि वह दूसरे व्यक्ति से स्वयं द्वारा व्यक्त शर्तो के आधार पर अनुबन्ध करना चाहता है।

प्रस्ताव किसी काम को न करने के संबंध में भी हो सकता है जो कि निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है –

ब, से से कहता है – 'तुम मेरे मकान के सामने अपनी दीवारी की नाली इस शर्त पर निकाल सकते हो कि उस नाली से गंदा पानी न आये।'

प्रस्ताव ऐसा होना चाहिये जो दोनों पक्षकारों के बीच कानूनी संबंध स्थापित करने में सक्षम हो। प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट व निश्चित हो। यह केवल इच्छा मात्र ही नहीं होनी चाहिये। यह प्रस्ताव के लिये निमंत्रण से भिन्न होता है।

3.5.2 प्रस्ताव करने का ढंग

प्रस्ताव स्पष्ट व गर्भित दोनों प्रकार का हो सकता है। एक स्पष्ट अनुबन्ध वह होता है जो शब्द द्वारा बोलकर या लिखित में हो। इस प्रकार यदि अ, ब, को बोले कि मैं अपनी लेखांकन की पुरानी पुस्तक 40 रुपये में बेचना चाहता हूँ तो वह एक स्पष्ट प्रस्ताव है। एक गर्भित प्रस्ताव वो होता है जो किसी व्यक्ति के आचरण से या किसी मामले की परिस्थितियों के आधार पर सामने आता है। उदाहरण के लिये जब एक यात्री बस किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पास रूकती है तो इसका अर्थ है कि वह बस उनको किसी गंतव्य स्थान पर घर ले जाने के लिये तैयार है अगर वे सामान्य किराया दे देवें।

3.5.3 प्रस्ताव किसको किया जा सकता है (To whom an offer can be made)

प्रस्ताव सामान्य अथवा विशेष हो सकता है। विशेष उस समय कहा जाता है कि वह केवल निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक विशेष समूह के सामने रखा जाता है। सामान्य उस समय कहा जाता है जब यह एक व्यक्ति विशेष के सामने न रखा जा कर साधारण जनता के सामने रखा जाता है। विशेष प्रस्ताव में स्वीकृत केवल यह व्यक्ति दे सकता है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है जबकि सामान्य प्रस्ताव में जनता को कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार कर सकता है।

उदाहरण (1) 'अ' 'ब' को कहता है कि यदि तुम मेरे बेटे को प्रतिदिन अपने रिक्शा में बिठाकर उसके स्कूल छोड़ व ले आओ तो मैं तुम्हें एक महीने के 100 रुपये दूँगा। इस प्रस्ताव को केवल 'ब' ही स्वीकार कर सकता है।

(2) यदि अ, अपनी स्कूटर बेचने के लिये एक अखबार में विज्ञापन देता है तो यह प्रस्ताव मान्य होगा तथा कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव के संबंध में कार्लिस vs कार्बोलिक स्मोक बॉल कं. (Carlill vs Carbolic Smoke Ball Co.) का मामला महत्त्वपूर्ण है। इस केस में प्रतिवादी कार्बोलिक स्मोक वॉल कम्पनी ने 'कार्बोलिक स्मोक वॉल' नाम की एक दवा बनाई। कंपनी ने समाचार पत्र में इस दवा के विषय में यह विज्ञापन दिया कि उस व्यक्ति को, जो इस दवा (स्मोक वॉल) का प्रयोग दिन में तीन बार दो सप्ताह तक लगातार करेगा उसे सर्दी और जुकाम आदि की बीमारी नहीं होगी। यदि ठीक तरीके से दवा का प्रयोग करने पर भी किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी होगी तो कंपनी उसे 100 पौंड की क्षतिपूर्ति करेगी। वादी श्रीमती कार्लिल ने विज्ञापन पर विश्वास करते हुए दवा को खरीदा और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार दवा का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उन्हें सर्दी, जुकाम हो गया। इस पर वादी ने कंपनी के विरुद्ध 100 पौंड के हर्जाने के लिये वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय श्रीमती कार्लिल के पक्ष में दिया। क्योंकि जज महोदय ने कहा, "Such a general offer was sufficient communication of the offer and performance of a condition of proposal is a sufficient acceptance there of."

3.6 वैध प्रस्ताव के लिये आवश्यक बातें (Essentials of a valid offer)

(1) वैधानिक संबंधों का उत्पन्न होना (Capable of creating legal relations) – प्रस्ताव ऐसा होना चाहिये कि यदि दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार कर ले, तो वैधानिक संबंध स्थापित हो जाये। यदि प्रस्ताव ऐसी प्रकृति का है कि उससे पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का वैधानिक संबंध उत्पन्न नहीं होता तो ऐसा प्रस्ताव 'वैध अनुबन्ध' का निर्माण नहीं कर सकता। सामाजिक राजनैतिक ठहराव वैधानिक संबंध उत्पन्न नहीं करते, अत: वे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते।

उदाहरण – यदि ब, अ को अपने घर खाने पर आमन्त्रित करता है किन्तु खाना नहीं खिला पाता है तो ऐसी दशा में 'ब' 'अ' को खाना खिलाने को बाध्य नहीं कर सकता अर्थात् ब का यह अनुबन्ध पूरा करने के लिये न्यायालय की सहायता नहीं ले सकता। क्योंकि इस व्यवहार से दोनों पखों के बीच कोई वैधानिक संबंध उत्पन्न नहीं होता। इस संबंध में एक लीडिंग केस (Balfour vs Balfour (1919) 2 K.B.571) है।

(2) प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए (The terms of offer must be certain) – प्रस्ताव करते समय प्रस्तावक की ओर से सब शर्तें निश्चित होनी चाहिए अर्थात् वे पूरी तरह से स्पष्ट हो। उदाहरणतया, A ने B से एक घोड़ा खरीदा और B को वचन दिया कि यदि पहला घोड़ा भाग्यवान सिद्ध हुआ तो A, B से दूसरा घोड़ा भी खरीदेगा। B इस वचन को परिवर्तनीय नहीं करा सकता, क्योंकि प्रस्ताव की शर्तें अनिश्चित व अस्पष्ट हैं।

(3) प्रस्ताव प्रार्थना के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं (Offer should be in the shape of a equest and not an order) – प्रस्ताव साधारणत: विनय के रूप में होना चाहिए, आज्ञा के रूप में नहीं। प्रस्तावक को यह अधिकार तो अवश्य है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए समय निश्चित कर दे किन्तु अस्वीकार करने की कोई शर्त निश्चित नहीं कर सकता।

उदाहरण– यदि 'A', 'B' से यह कहे कि तुम तीन दिन के अन्दर-अन्दर अपनी स्वीकृति नहीं भेजोगे तो मैं प्रस्ताव की स्वीकृति मान लूँगा। ऐसी दशा में यह 'A' की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं माना जायेगा क्योंकि वहाँ पर 'A' एक प्रकार से 'B' को आदेश दे रहा है।

(4) केवल प्रस्ताव करने की इच्छा मात्र ही प्रस्ताव नहीं होगी (Mere declaration of Intention to offer is not an offer) – जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करने की इच्छा की घोषणा कर देता है, किन्तु वास्तव में प्रस्ताव नहीं करता तो केवल इच्छा की घोषणा को एक वैधानिक प्रस्ताव नहीं माना जा सकता और इच्छा की घोषणा करने वाले को अनुबन्ध पूरा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

विवाद (Harris vs Nickerson (1873) : Q.B. 286 - इस विवाद से प्रतिवादी (Defendant) ने अपना कुछ सामान एक निश्चित स्थान पर नीलामी (Auction) द्वारा बेचने की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप वादी निश्चित स्थान पर पहुँचा। किन्तु वादी को उस स्थान पर कोई नीलामी होती नहीं मिली। जिस पर वादी ने प्रति वादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में दिया क्योंकि प्रतिवादी ने तो केवल प्रस्ताव करने की इच्छा से घोषणा की थी, वास्तव में प्रस्ताव नहीं किया था।

(5) प्रस्ताव, "प्रस्ताव के निमंत्रण" से भिन्न है (An offer is different from an invitation to offer) – 'प्रस्ताव' तथा 'प्रस्ताव करने की इच्छा' में बहुत अन्तर है। प्रस्ताव करने की इच्छा की घोषणा करना, वास्तव में प्रस्ताव नही है, अत: ऐसी घोषणा को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के लिये निमंत्रण की दशा में एक व्यक्ति स्वयं प्रस्ताव न करके दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव के

लिये आमंत्रित करता है। अब प्रस्ताव वास्तव में उस व्यक्ति की ओर से आयेगा जिसको आमन्त्रित किया गया था और अब प्रस्ताव निमंत्रण देने वाले की इच्छा पर होगा कि वह उसको स्वीकार करे या नहीं। टेण्डर मांगना, प्रविवरण द्वारा विज्ञापन समय सारणी और गश्ती-पत्र (Circular) प्रस्ताव करने के लिये निमंत्रण होते हैं।

उदाहरण– रेलवे कंपनी की समय सारणी प्रस्ताव के लिये निमंत्रण मात्र है। समय सारिणी में दिये हुए समय पर रेलगाड़ियों के चलने का प्रस्ताव नहीं होता।

(6) प्रस्ताव का स्वीकारक के पास पहुँचना आवश्यक है (The offer must be communicated to acceptor) – प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति के पास अवश्य पहुँचनी चाहिये जिसके लिये वह किया गया है ताकि वह इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय कर सके। क्योंकि जब तक स्वीकार करने वाला प्रस्ताव को जानेगा नहीं तब तक उसे स्वीकार नहीं कर सकता और बिना स्वीकृति मिले अनुबन्ध ही पूरा नहीं होगा। इस संबंध में लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्ता का विवाद (Lalman Shukla vs. Gauri Datt (1913) A.L.J. 489) बहुत महत्त्वपूर्ण है – यह निम्न प्रकार से हुआ था–

लालमन शुक्ल गौरी दत्त के मुनीम थे। जनवरी 1912 में गौरी दत्त का भतीजा कहीं खो गया। गौरीदत्त ने पता लगाने के लिये अपने नौकरों को विभिन्न स्थानों पर भेजा। लालमन शुक्ल को भी खोये हुए भतीजे को ढूँढ़ने के लिये भेजा। गौरीदत्त ने बाद में भतीजे को ढूँढ़ने के संबंध में इनाम की घोषणा की। लालमन इनाम की घोषणा किये जाने से पहले ही लड़के को ढूँढ़ने चला गया था तथा उसने लड़के को ढूँढ़ लिया। बाद में उसे (लालमन) को इनाम के घोषणा की जानकारी मिली और उसने सेठ गौरीदत्त से इनाम मांगा। किन्तु गौरीदत्त ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि इनाम की घोषणा का पता लड़के को ढूँढ़ने के बाद लगा है। इस पर लालमन ने गौरीदत्त के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया किन्तु निर्णय गौरीदत्त के पक्ष में हुआ। क्योंकि लालमन उस समय तक इनाम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका था जब तक वह उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर लेता।

(7) प्रस्ताव सामान्य अथवा विशेष हो सकता है (Offer can be general or specific) – इसे पहले ही समझाया जा चुका है (इसी अध्याय में)।

(8) प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है (Offer may be either express or implied) – जब प्रस्ताव मौखिक अथवा लिखित रूप में स्पष्ट शब्दों द्वारा रखा जाता है तो इसे स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जब प्रस्ताव शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से किया जाता है तब इसको गर्भित प्रस्ताव कहते हैं। गर्भित प्रस्तावना के विचार, कार्य करने के ढंग, व्यापारिक रीति-रिवाज एवं उस समय की स्थिति को देखकर किया जाता है। बस स्टॉप पर बस का निश्चित समय पर आना, यात्रियों को ले जाने के लिये गर्भित प्रस्ताव है।

(9) टेण्डर (Tender) – टेण्डर प्रस्ताव के लिये निमंत्रण होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक जो निश्चित प्रस्ताव के बारे में हो जैसे एक निश्चित वस्तु एक समय में लेना, दूसरे स्तर पर निरन्तर प्रस्ताव। यदि किसी वर्ग विशेष की वस्तुओं को वर्ष के अन्तर्गत निश्चित मूल्य और निश्चित संख्या या मात्रा में जहाँ तक जितनी मांग हो उतनी संख्या तक देने का प्रस्ताव हो तो ऐसी विशेष स्थिति यह ठहराव न कहलाकर निरन्तर प्रस्ताव कहलायेगा।

3.7 प्रस्ताव की समाप्ति (Lapse of an Offer)

एक प्रस्ताव की समाप्ति निम्न में से किसी भी प्रकार हो सकती है -

(a) यदि प्रस्तावक या प्रस्ताव स्वीकृता की मृत्यु स्वीकृति के पहले ही हो जाये। (धारा 6(4))।

(b) स्वीकृति के पहले प्रस्तावक या स्वीकृता के पागल हो जाने पर (धारा 6(4))

(c) निश्चित या उचित समय समाप्त होने पर (By lapes of fixed or reasonable time) – यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव करते समय स्वीकृति के लिये कोई समय निर्धारित किया है, तो इस अवधि के भीतर ही स्वीकृति हो जानी चाहिये अन्यथा प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। यदि प्रस्ताव में कोई समय निर्धारित न किया हो तो उचित समय के भीतर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये, अन्यथा प्रस्ताव समाप्त हो जायेगा।

उचित समय क्या होगा – यह अनुबन्ध की परिस्थितियों, प्रस्ताव की शर्तो तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिये ऐसी वस्तुएँ जिनके मूल्य में प्रतिदिन होते हों उनके क्रय-विक्रय के संबंध में किये गये प्रस्ताव पर प्रस्ताव पर स्वीकृति शीघ्र ही होनी चाहिये। लेकिन जमीन, जायदाद आदि की खरीद-विक्रय की स्वीकृति में अधिक समय लग सकता है।

(d) निश्चित या उचित रीति में स्वीकृति न होने पर (Not being accepted in the made prescribed)– हर एक प्रस्ताव की स्वीकृति उचित रूप में होनी चाहिये या उस रीति से होनी चाहिये जो प्रस्ताव करने की ओर से निश्चित कर दी गई हो। यदि उस प्रकार नहीं होती तो प्रस्ताव समाप्त हुआ माना जायेगा। उदाहरण के लिये A ने अपनी साईकिल बेचने का प्रस्ताव B से किया और कहा कि स्वीकृति 'तार' द्वारा भेजो। B ने अपनी स्वीकृति साधारण पत्र द्वारा भेजी। ऐसी अवस्था में प्रस्ताव का खण्डन माना जायेगा।

(e) प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर या प्रति प्रस्ताव होने पर (By rejection or by Counter proposal)– कोई भी प्रस्ताव उसी वक्त समाप्त हुआ मान लिया जाता है जब स्वीकृत। उसको अस्वीकार कर देता है या स्वीकृत की ओर से कोई प्रस्ताव हो जाये तो भी मुख्य प्रस्ताव समाप्त हुआ मान लिया जायेगा। उदाहरणार्थ- X, Y के सामने एक क्विंटल गेहूँ 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने का प्रस्ताव रखता है। Y गेहूँ खरीदने से इन्कार कर देता है। Y के इन्कार करते ही X का प्रस्ताव समाप्त हुआ मान लिया जायेगा।

(f) खण्डन द्वारा (By Revocation) – भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव का खण्डन, प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, किन्तु बाद में नहीं। इस नियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वीकृति की सूचना स्वीकर्त्ता द्वारा डाक से उस तरह छोड़ दी जाये कि फिर वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो जाये, तो स्वीकृति प्रस्ताव के विरुद्ध लागू हो जाती है, अर्थात् प्रस्तावक इसके बाद अपने प्रस्ताव का खण्डन नहीं कर सकता। ऐसा खण्डन स्पष्ट शब्दों द्वारा मौखिक या लिखित, पत्र द्वारा, तार या टेलीफोन द्वारा, व्यवहार या आचरण द्वारा भी हो सकता है परन्तु खण्डन की सूचना प्रस्तावक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी जानी चाहिये। आंग्ल अधिनियम में खण्डन की सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकता है। इंग्लैंड में दी जानी चाहिये। आंग्ल अधिनियम में खण्डन की सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। इंग्लैंड में Dickinson vs. Dodds (1876) 2 Ch. D. 463) के विवाद में यह निर्णय दिया गया कि यदि प्रस्ताव के खण्डन की सूचना किसी भी व्यक्ति से मिल जाये तो यह पर्याप्त है।

(g) कानून द्वारा अवैध घोषित करना (Declaring void by the Statute) – यदि प्रस्ताव करने के बाद किन्तु स्वीकृति प्राप्त होने से पहले ऐसा प्रस्ताव कानून द्वारा अवैध घोषित करा दिया जाये तो भी यह प्रस्ताव समाप्त हो जायेगा।

सतत् प्रस्ताव या खुला प्रस्ताव (Continuous or Standing Offer)

जब किसी संस्था (जैसे रेलवे) को किसी विशेष प्रकार की वस्तुएँ बहुत बड़ी मात्रा में समय-समय पर चाहिये हो तो आमतौर पर इनके लिये टैण्डर मंगवाये जाते हैं। ऐसा विज्ञापन जो टेण्डर मंगाने के लिये दिया जाता है। प्रस्ताव न होकर बल्कि प्रस्ताव के लिये निमंत्रण होता है। यदि किसी वर्ग विशेष की वस्तुओं को वर्ष के अन्तर्गत निश्चित मूल्य पर और निश्चित संख्या या मात्रा में जहाँ तक जितनी मांग हो उतनी संख्या तक देने का प्रस्ताव हो तो ऐसी विशेष स्थिति में यह ठहराव न कहलाकर सतत् प्रस्ताव कहलायेगा।

3.8 प्रस्ताव की स्वीकृति (Acceptance of Proposal)

जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव स्वीकार किया हुआ माना जायेगा। जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो यह वचन बन जाता है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का प्रार्थना पत्र प्रस्ताव तथा शेयर आबंटन प्रस्ताव की स्वीकृति के समान है तथा यह अनुबन्ध में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई भी ठहराव स्वीकृति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। सर विलियम एग्सन के अनुसार, "स्वीकृति प्रस्ताव के लिये ऐसी है जैसे बारूद के ढेर को जलती हुई माचिस दिखाना।"

"Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gun powder." – Sir William Anson

3.8.1 स्वीकृति कौन कर सकता है ? (Why may accept?) – प्रस्ताव की स्वीकृति केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया हो। परन्तु साधारण प्रस्ताव की दशा में उसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। साधारण प्रस्ताव वह है जो किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख न रखा गया हो व्यक्ति सम्पूर्ण पब्लिक के लिये हो। यदि A के द्वारा B के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया हो तो इसे C द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। Boulton vs. Johnes के विवाद में व्यापारी ने अपना कारोबार अपने मैनेजर Boulton को बेच दिया और इसकी सूचना अपने ग्राहकों को नहीं दी। जिस दिन वह कारोबार बेचा गया उसी दिन सायंकाल एक ग्राहक Johnes ने जो पहले से ही पुराने व्यापारी से लेन-देन करता था, कुछ वस्तुएँ खरीदने के लिये व्यापारी के व्यक्तिगत नाम से एक आदेश भेजा। व्यापार के नये मालिक Boulton ने बिना यह बताये कि व्यापार का स्वामित्व बदल गया है, आदेश के अनुसार ग्राहक के पास माल भेज दिया और माल का मूल्य मांगा। किन्तु ग्राहक ने माल के मूल्य का भुगतान करने से इंकार कर दिया। इस पर Boulton ने Johnes के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। जब महोदय ने यह निर्णय दिया कि Boulton (मालिक) ग्राहक से पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि ग्राहक ने माल खरीदने का प्रस्ताव पुराने मालिक के सामने रखा था न कि नये मालिक के सामने। क्योंकि नये मालिक को प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं था इसलिये वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अत: नये मालिक व ग्राहक के बीच कोई अनुबन्ध नहीं बनता।

3.8.2 स्वीकृति के वैधानिक नियम (Legal Rule of Acceptance) –

स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित हो (Acceptance must be absolute and unconditional) – अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। वैध अनुबन्ध के लिये

यह आवश्यक है कि प्रस्ताव की समस्त शर्तों को स्वीकृति होनी चाहिये तथा स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए। यदि स्वीकृति के ढंग के विषय में कुछ न कहा गया हो तो स्वीकृति प्रचलित एवं उचित ढंग से दी जानी चाहिये। क्योंकि स्वीकृति द्वारा किसी नये सुझाव को रखा जाए तो वास्तव में यह स्वीकृति नहीं होगी बल्कि यह केवल एक प्रति-प्रस्ताव होगा।

Example - P wrote to Q offering to buy his mare if he "warranted her sound and quiet in harness" Q wrote back that he accepted the offer and warranted her sound and quiet in double harness, he had not tried her in single harness. It was held that P was not bound by his offer as Q's reply was in effect, a counter offer, and not an unqualified acceptance of P's offer. (Jordon vs. Norton (1838) 4 M and W 155).

(2) स्वीकृति केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है। यह नियम Boulton vs. Johnes के द्वारा समझाया जा चुका है।

(3) स्वीकृति का संवहन आवश्यक है (Acceptance must be communicated) – प्रस्ताव की भांति स्वीकृति का भी संवहन होना चाहिए। साधारणतः स्वीकृति उस व्यक्ति के पास या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पास, जिसने प्रस्ताव रखा हो, भेजी जानी चाहिये। यह स्वीकृति मानसिक (Mental Acceptance) नहीं होनी चाहिये अर्थात् स्वीकृति शब्दों या आचरण द्वारा देनी चाहिये क्योंकि मानसिक स्वीकृति को स्वीकार नहीं माना जाता।

Example- F ने अपने भतीजे से उसका घोड़ा 30 पौण्ड 15 शिलिंग में खरीदने का प्रस्ताव पत्र द्वारा भेजा। पत्र में लिखा कि "यदि मुझे इस संबंध में कोई उत्तर न मिला तो मैं यह समझूँगा कि घोड़ा 30 पौण्ड 15 शिलिंग में मेरा हो गया।" भतीजे ने इसका उत्तर नहीं भेजा। परन्तु भतीजे ने बिण्डले (जो घोड़े को नीलामकर्त्ता और एजेन्ट था) से कहा कि तुम इस घोड़े को नीलाम नहीं करना, क्योंकि यह घोड़ा मेरे चाचा को बेचना है। परन्तु नीलामकर्त्ता ने भूल से उस घोड़े को नीलाम कर दिया। इस पर F के बिण्डले के ऊपर केस कर दिया।

न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा "यह प्रत्यक्ष है कि भतीजे का आशय चाचा को घोड़ा बेचना था लेकिन उसने इस आशा का संवहन चाचा को नहीं किया था।"

(4) स्वीकृति आचरण द्वारा भी दी जा सकती है (Acceptance by conduct) – कभी-कभी स्वीकर्त्ता बिना सूचना दिये केवल अपने आचरण या व्यवहार द्वारा किसी प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है। उदाहरण के लिये अ, ब से 1000 रुपये में उनकी घड़ी खरीदने का प्रस्ताव करता है। ब ने अपने मुख से कोई शब्द नहीं बोला लेकिन अपनी घड़ी अ की कलाई पर बांध दी तो यह आचरण द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हुई।

(5) स्वीकृति निर्धारित या उचित ढंग से ही होनी चाहिये (Acceptance must be according to the mode prescribed or resonable mode) – स्वीकृति उसी ढंग से होनी चाहिये जो प्रस्तावक ने निश्चित की हो, जैसे यदि प्रस्तावक किसी वस्तु को किसी विशेष स्थान पर लेना चाहता है तो ऐसी दशा में स्वीकारक को वह वस्तु उसी स्थान पर लाकर प्रस्तावक के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिये अन्य किसी स्थान पर नहीं, क्योंकि कानून के अनुसार प्रस्ताव को किसी अन्य स्थान पर वस्तु के सुपुर्दगी लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

(6) स्वीकृति का प्रस्ताव की जानकारी के बाद दिया जाना (Acceptance only after the offer in received by the acceptor) – अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार एक वैध स्वीकृति के लिये यह

आवश्यक है कि स्वीकर्त्ता को प्रस्ताव की जानकारी हो। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति का कोई महत्त्व नहीं होता। ऐसा इसलिये है क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं तो वह स्वीकृति किस संबंध में देगा।

(7) प्रस्ताव की स्वीकृति खण्डन से पूर्व ही होनी चाहिये (Acceptance before the expiry of the offer) – प्रस्ताव के खण्डन या अन्त होने के पहले ही स्वीकर्त्ता अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। वास्तव में यदि किसी प्रस्ताव का खण्डन हो गया हो तो इसकी सूचना स्वीकारक को मिलनी चाहिये। खण्डन की जानकारी मिलने के बाद वह अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता और यदि देता है तो वह मान्य नहीं होगी।

(8) स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए (Acceptance must be entirely) – जब एक स्वीकारक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने प्रस्ताव की सारी शर्तों को मान लिया है। यदि प्रस्ताव में कोई विशेष शर्ते नहीं है और स्वीकर्त्ता का ध्यान किसी विशेष शर्त की ओर न दिलाया जाए तो ऐसी स्थिति में स्वीकर्त्ता पर कोई शर्त लागू नहीं होगी और अनुबन्ध को पूरा साधारण ढंग से ही किया जायेगा।

(9) स्वीकृति स्पष्ट एवं गर्भित दोनों ही हो सकती है (Acceptance may be Express or Implied)– जब स्वीकृति लिखित या मौखिक रूप में दी जाती है तो उसे स्पष्ट स्वीकृति कहते हैं। इसके विपरीत अन्य प्रकार से दी गई स्वीकृति को गर्भित स्वीकृति कहा जाता है। अन्य प्रकार के अभिप्राय कार्यों या आचरण द्वारा दी गई स्वीकृति से होता है।

(10) एक बार अस्वीकृति प्रस्ताव पुनः प्रस्ताव किये बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता (Once rejected an offer can not be accepted without reoffering) – उदाहरणार्थ, लाला धनी राम 500 क्विंटल गेहूँ 130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचने का प्रस्ताव गरीब दास से करता है। गरीब दास कहता है कि वह गेहूँ 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगा। इस प्रकार यहाँ गरीब दास, धनी राम का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। कुछ समय बाद गरीब दास 130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ खरीदने को तैयार हो जाता है, तो धनी राम गेहूँ बेचने पर बाध्य नहीं होगा।

(11) कुछ कार्य करके भी स्वीकृति दी जा सकती है– कभी–कभी प्रस्ताव की शर्त के अनुसार कार्य करना भी स्वीकृति कहलाता है। उदाहरण के लिये खोये हुए सामान की तलाश करने वाले को ईनाम की घोषणा की जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को सामान खोजने का कार्य करता है, प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रदान करता है और इनाम का अधिकारी हो जाता है।

स्वीकृति पर मौन रहने का प्रभाव (Effect of Silence on Acceptance) – साधारणतः जिस व्यक्ति के पास प्रस्ताव भेजा है उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उसका मौन रहना प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में निम्न विवाद महत्त्वपूर्ण है।

Harvey vs. Facey - (1893) App. Col. 552. इस विवाद में Harvey ने Facey को तार दिया "क्या तुम B.H.Pen हमें बेचोगे – कम से कम दाम बताओ।" इस पर Facey ने उत्तर दिया, "कम से कम B.H. Pen के दाम 900 पौण्ड।" Harvey फिर ने तार दिया, "हम आपका B.H.Pen पौण्ड में खरीदने को तैयार हैं।" Harvey और Facey में कोई अनुबन्ध नहीं हुआ।

3.8.3 बिना संवहन के वैध स्वीकृति (Valid Acceptance without Communication)

हम यह देख चुके हैं कि बिना संवहन के स्वीकृति का कोई महत्त्व नहीं होता। उदाहरण के लिये यदि कोई मौखिक स्वीकृति हवाई जहाज के शोर के कारण सुनाई न दे टेलीफोन पर स्वीकृति देते समय टेलीफोन बंद हो जाये या न सुनाई दे तो अनुबन्ध नहीं होता। लेकिन निम्नलिखित दशाओं में स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी के बिना भी पूर्ण मानी जायेगी।

1. जब स्वीकृति डाक द्वारा भेजी जाए (Acceptance by post) चाहे पत्र खो गया हो।
2. जब प्रस्तावक ने स्वयं स्वीकृति का संवहन करने से इंकार कर दिया हो।
3. एक पक्षीय अनुबन्ध की दशा में। सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति का संवहन आवश्यक नहीं है। खोये हुए माल को पाने वाले को भी ऐसा करना आवश्यक नहीं।
4. जब प्रस्तावकर्त्ता द्वारा ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाये, जहाँ स्वीकृति का संवहन मान लिया जाये तो ऐसी दशा में प्रस्तावक की अपनी गलती नहीं होनी चाहिए।
5. जब स्वीकृति प्रस्तावक के एजेन्ट को दी जाए। परन्तु यह एजेंट या तो प्रस्ताव भेजने वाला हो या उसे स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध हो।

3.9 प्रस्ताव, स्वीकृति एवं खंडन का संवहन (Communication of Proposal, Acceptance and Revocation)

अधिनियम की धारा 3, 4, व 5 में इनको समझाया गया है। जब अनुबन्ध के पक्षकार एक-दूसरे से दूर-दूर रहते हों तो प्रस्ताव, स्वीकृति व इनके खण्डन के संवहन का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण बन जाता है और इस कार्य के लिये डाक विभाग की सेवाओं को काम में लाया जाता है। इसी कारण डाक द्वारा प्रस्ताव भेजने, स्वीकृति के संवहन से संबंधित नियमों की आवश्यकता पड़ी।

3.9.1 प्रस्ताव का संवहन (Communication of Proposal) – भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार - "प्रस्ताव का संवहन, स्वीकृति तथा खण्डन, क्रमशः प्रस्तावक या खण्डनकर्त्ता के उस कार्य या भूल के द्वारा हो जाती है, जिसके द्वारा वह ऐसे प्रस्ताव का संवहन करना, स्वीकार करना या खण्डन करना चाहता है या जिसका प्रभाव संवहन करना होता है।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह प्रस्ताव स्वीकर्त्ता के सामने पहुँचा हुआ कब माना जायेगा ? धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव का संवहन उस समय पूरा हुआ माना जायेगा जब वह उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसके लिये प्रस्ताव किया गया हो। उदाहरण के लिये 'र' एक पत्र द्वारा 'ल' से निश्चित मूल्य पर एक मकान बेचने का प्रस्ताव करता है, तो उसे प्रस्ताव का संवहन उस समय पूरा होता है जब 'ल' को पत्र मिल जाता है।

इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्रस्ताव के साथ कुछ शर्तें हैं तो उन शर्तों का संवहन भी आवश्यक है। किसी भी प्रपत्र के पीछे की ओर लिखी शर्तों से दूसरा पक्षकार तभी बाध्य होगा जब वह इन शर्तों को देख ले।

3.9.2 स्वीकृति का संवहन (Communication of Acceptance) – भारतीय अनुबन्ध की धारा 4 के अन्तर्गत स्वीकृति के संवहन के संबंध में प्रस्ताव के विरुद्ध तथा स्वीकर्त्ता के विरुद्ध अलग-अलग दिये गए हैं- प्रस्ताव के विरुद्ध संवहन-प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन उसी समय पूरा हो जाता है

जब स्वीकृति चलती कर दी जाये और अब स्वीकर्त्ता के द्वारा स्वीकृति का वापिस लेना असंभव हो जाता है। इससे भी अधिक, पत्र के खो जाने या देर से पहुँचने या गलत पहुँचने के लिये स्वीकर्ता या पत्र भेजने वाला जिम्मेदार नहीं होगा यदि उसने पता सही-सही व ठीक ढंग से लिखा है। उपर्युक्त के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि जैसे स्वीकृति, स्वीकर्त्ता द्वारा चालू कर दी जाए तो उसको यह अधिकार हो जाता है कि अपनी स्वीकृति को मान ले बेशक स्वीकृति का पत्र प्रस्तावक को कभी न मिल पाये यानि के डाकखाने द्वारा खो जाये।

3.9.3 स्वीकर्त्ता के विरुद्ध (As against the Accepter) – स्वीकृति का संवहन स्वीकर्त्ता के विरुद्ध उस समय पूरा माना जाएगा या स्वीकर्त्ता स्वीकृति से उस समय माध्य होता है, जब वास्तव में स्वीकृति पत्र या स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक के पास पहुँच जाये।

उदाहरण- X, Y का प्रस्ताव डाक द्वारा पत्र भेजकर स्वीकर कर लेता है। ऐसी दशा में स्वीकृति संवहन Y के विरुद्ध तो उसी समय पूरा हो जायेगा तब Y को पत्र मिल जाये।

3.9.4 खण्डन का संवहन (Communication of Revecation) – यह निम्नलिखित दो प्रकार से समझा जा सकता है -

(i) खंडनकर्ता के विरुद्ध – खण्डन का संवहन खंडनकर्त्ता के विरुद्ध तभी पूरा हो जाता है जब खंडन का संदेश उस व्यक्ति के नाम, जिसको भेजना है, चलता कर दिया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप अब खण्डन का संदेश वापिस लेना असंभव हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि खण्डनकर्त्ता को खण्डन का संदेश चालू करने के बाद उस संबंध में कोई अधिकार नहीं रह जाता।

(ii) इसी प्रकार उस व्यक्ति के विरुद्ध संवहन जिसके पास खण्डन का संदेश भेजना हो, उस वक्त पूरा हो जाता है जब वह संदेश उसे प्राप्त हो जाये अर्थात् एक व्यक्ति को खंडन की सूचना मिलते ही उसको उस संबंध में कोई अधिकार नहीं रह जाता।

Revocation of Proposal – An offer can be revoked at any time before acceptance. But the letter revoking the offer must be recived before the letter of acceptance is posted. An offer is made irrevocable by acceptance. Revocation of offer must be communicated to the other party.

Revocation of Acceptance – An acceptance of proposal may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the accepter but not afterwards. The acceptance is binding on the acceptor when the letter of acceptance actually reaches the proposer.

Offer and Acceptance through Telephone or Telex – टेलीफोन द्वारा किये गए अनुबन्ध का उसी प्रकार प्रभाव होता है जिस प्रकार पक्षकार आमने-सामने मौखिक अनुबन्ध करते हैं। परन्तु स्वीकर्त्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए।

जब अनुबन्ध डाक द्वारा उत्पन्न होता है तो इस संबंध में यह स्पष्ट कानून है कि पत्र डाकखाने में छोड़ते ही स्वीकृति पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से Communication by means of telephones or telex are virtually instantaneous and stand on different footing. Here the contract is complete when the acceptance is received by the offer or and the contract is made at the place where the acceptance is received.

(4) सारांश

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम का नाम 'भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872' है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग अनुबन्ध के सामान्य सिद्धान्तों (धारा 1 से 75) से संबंधित है तथा दूसरा भाग (धारा 124 से 281) कुछ विशेष प्रकार के अनुबन्धों से संबंधित है जैसे हानि रक्षा तथा प्रतिभूति, निक्षेप, ऐजेन्सी आदि। सन् 1930 में इसमें से वस्तु विक्रय अधिनियम को अलग अधिनियम बना दिया गया। सन् 1932 में साझेदारी अधिनियम को इसमें से अलग किया गया। इसकी धारा 2 में अनुबन्ध अधिनियम की विभिन्न आधारभूत परिभाषाओं जैसे प्रस्ताव, स्वीकृति, अनुबन्ध, व्यर्थ अनुबन्ध तथा व्यर्थनीय अनुबन्ध आदि को बताया गया है। अनुबन्ध का अर्थ उस ठहरावों से है जो भारतीय राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। इसमें धारा 10 में बताए गए सभी आवश्यक लक्षण जैसे प्रस्ताव एवं स्वीकृति, स्वतन्त्र सहमति, न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य, अनुबन्ध करने की क्षमता आदि का होना आवश्यक होता है। अनुबन्ध तथा ठहरावों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

प्रस्ताव तथा सहमति में प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने के विषय में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के समक्ष रखा जाता है तथा यदि वह इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तो प्रस्ताव स्वीकार हुआ माना जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति सामान्यत: वही दे सकता है जिसके समक्ष वह रखा जाता है। प्रस्ताव सामान्य अथवा विशेष प्रकार को हो सकता है। इसी तरह से प्रस्ताव की स्वीकृति भी केवल वही दे सकता है जिसके समक्ष वह रखा जाता है परन्तु यदि वह सामान्य प्रस्ताव है तो उसकी स्वीकृति किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। एक प्रस्ताव तथा स्वीकृति के वैध होने के लिये इसमें भारतीय अनुबन्ध अधिनियम में बताए गए वैधानिक नियमों की पालना किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। खण्डन का अर्थ 'वापिस मिल जाना' होता है। एक प्रस्ताव का खण्डन इसकी स्वीकृति दिये जाने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है तथा एक स्वीकृति का खण्डन स्वीकृति का स्वीकर्त्ता के विरुद्ध संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

(5) प्रस्तावित पुस्तकें (Suggested Readings) :

(i) Business Regulatory Framework - Dr. R.L. Chawla

(ii) Business Regulatory Framework - Dr. Ashok Sharma

(iii) Mercantile Law - Dr. N.D. Kapoor

(iv) Mercantile Law - Dr. M.C.K,.Kuchhal

(v) Business Regulatory Framework - Dr. K.C. Goyal

(vi) Business Law - Texmann/Rohini Aggarwal

(6) नमूने के लिये प्रश्न (Sample Questions) :

(1) एक वैध अनुबन्ध से आपका क्या अभिप्राय है? एक वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षणों की उदाहरण देकर व्याख्या कीजिये।

What do you mean by a valid contract ? Explain fully the essentials of a valid contract by giving appropriate examples.

(2) "समस्त अनुबन्ध ठहराव होते हैं, परन्तु समस्त ठहराव अनुबन्ध नहीं होते"। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

"All contracts are agreements, but all agreements are not contracts." Explain.

(3) निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए –

(i) व्यर्थ अनुबन्ध और व्यर्थनीय अनुबन्ध (Void contract and Voidable agreements)

(ii) ठहराव व अनुबन्ध (Agreement and Contract)

(iii) व्यर्थ एवं अवैध ठहराव (Void and Illegal Agreements)

(4) निम्न पर टिप्पणी लिखो (Write note on the followings) -

(a) व्यर्थ अनुबन्ध (Void contract)

(b) वैध अनुबन्ध (Valid contract)

(c) स्पष्ट अनुबन्ध (Express contract)

(d) गर्भित अनुबन्ध (Implied contract)

(e) एक पक्षीय व द्विपक्षीय अनुबन्ध (Unilateral and Bilsteral contract)

(5) Define offer. What are the essential of a valid offer ?

(6) Distinguish an offer from a quotation or an invitation to offer.

(7) What do you understand by the term 'acceptance'? What conditions must be fulfilled to convert proposal into a promise?

(8) "A mere mental assent not evidenced by words or conduct does not contitute acceptance." Comment.

(9) "An acceptance to be effective must be communicated to the offeror." Are there any exceptions to this role?

(10) Define acceptance. Give legal rules regardind acceptance.

B.Com - II

Paper : BC-201 Business Laws ***Revised by*** **: Parveen Khurana**

Lesson No : 2

(Lawful Consideration and Legality of 1 Object and Contractual Capacity of the Parties)

संरचना (Sturecture)

1. परिचय/प्रस्तावना (Introduction)
2. अध्याय का उद्देश्य (Objective of the Chapter)
3. विषय का प्रस्तुतिकरण (Presentation of Contents)
   - 3.1 प्रतिफल का अर्थ
     - 3.1.1 प्रतिफल की परिभाषा
     - 3.1.2 प्रतिफल के लक्षण या तत्त्व
   - 3.2 प्रतिफल रहित ठहराव – व्यर्थ
   - 3.3 अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य
   - 3.4 लोकनीति के विरुद्ध ठहराव
   - 3.5 अनुबन्ध करने की क्षमता का आशय
     - 3.5.1 अवयस्क द्वारा किया गया अनुबन्ध
     - 3.5.2 अवयस्क के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति
   - 3.6 अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति
   - 3.7 राजनियम द्वारा विशेष रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति
4. सारांश
5. प्रस्तावित पुस्तकें
6. नमूने के लिए प्रश्न

1. परिचय/प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार एक वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षणों में एक महत्त्वपूर्ण लक्षण न्यायोचित प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य होता है। प्रतिफल का सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ बदले में कुछ होता है। लेकिन वैधानिक शब्दावली में इसका प्रयोग विशेष सन्दर्भ में किया जाता है। इसी तरह से अनुबन्ध का उद्देश्य वैधानिक होना अत्यन्त अनिवार्य होता है जिससे अनुबन्ध की वैधता प्रभावित होती है। अत: यदि किसी अनुबन्ध में प्रतिफल न्यायोचित न हो तथा उसका उद्देश्य भी अवैधानिक हो तो वह अनुबन्द व्यर्थ होता है तथा उसे कानून से लागू नहीं करवाय जा सकता।

एक अन्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्षण जिससे अनुबन्ध की वैधता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है वह है पक्षकारों में अनुबन्ध करने की क्षमता। यदि पक्षकारों में अनुबन्ध करने की क्षमता ही नहीं है तो वह विधान द्वारा प्रवर्तनीय न होकर व्यर्थ हो जाता है। इसमें सामान्यत: एक नाबालिक, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों तथा विधान द्वारा विशेष रूप से अयोग्य घोषित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

2. अध्याय का उद्देश्य (Objective of the Chapter)

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य पाठकों को प्रतिफल के अर्थ, लक्षण एवं महत्त्व से परिचित करवाना है। इसके अध्ययन के पश्चात् वे ये सभी तथ्य जान पाएंगे तथा बिना प्रतिफल के किये गए ठहरावों की वैधानिक स्थिति का भी वर्णन यहाँ किया गया है जो अनुबन्ध से सभी अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करता है : इसी प्रकार अनुबन्ध के लिये वैधानिक उद्देश्य का क्या अर्थ है तथा इसके न होने से अनुबन्ध की वैधता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे भी पाठक इसके अध्ययन के पश्चात् समझ पाएंगे।

इसी अध्याय के अन्तर्गत अनुबन्ध करने की क्षमता का क्या अर्थ है? कौन-कौन से व्यक्ति अनुबन्ध करने के लिए अयोग्य होते हैं तथा उनके द्वारा किये गये अनुबन्धों की वैधानिक स्थिति क्या होती है? यह सभी तथ्य समझाने का प्रयास भी किया गया है। अत: इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् पाठक एक वैध अनुबन्ध के लिए इन दोनों आवश्यक लक्षणों को विस्तारपूर्वक समझ पाएंगे।

3. विषय का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Contents)

एक वैध अनुबन्ध के लिए न्यायोचित प्रतिफल अथवा उद्देश्य होना चाहिए। बिना न्यायोचित प्रतिफल अथवा उद्देश्य के अनुबन्ध वैध नहीं होता। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 25 के अनुसार बिना प्रतिफल के अनुबन्ध व्यर्थ होता है और कुछ अपवादों को छोड़कर वह वाजी/जुआ का ठहराव कहलाता है।

किसी अनुबन्ध के पक्षकारों की दृष्टि से प्रतिफल तथा उद्देश्य एक ही पहलू के दो नाम कहे जा सकते हैं। अनुबन्ध में दो पक्षकार होते हैं, दोनों ही पक्षकार एक-दूसरे को वचन देते हैं। इस प्रकार एक पक्षकार का दिया गया वचन दूसरे पक्षकार के लिए प्रतिफल माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो वस्तु एक पक्षकार के लिए वचन का प्रतिफल कहलाती है वही वस्तु दूसरे पक्षकार के लिए वचन का उद्देश्य हो जाती है। उदाहरण के लिए -

'अ' अपनी घड़ी 200 रुपये में 'ब' को बेचने का अनुबन्ध करता है। यहाँ घड़ी की बिक्री 'अ' दृष्टिकोण से एक अनुबन्ध का उद्देश्य है और 'ब' के दृष्टिकोण से प्रतिफल है। इसी प्रकार 200 रुपये का भुगतान 'अ' के दृष्टिकोण से प्रतिफल है और 'ब' के दृष्टिकोण से अनुबन्ध का उद्देश्य है।

3.1 प्रतिफल का आशय (Meaning of Consideration)- साधारण बोलचाल की भाषा में प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ (Something for Something) भी कहा जाता है क्योंकि अनुबन्ध में भी पक्षकार कुछ पाने के बदले किसी काम को करने या न करने का वायदा करते हैं। अनुबन्ध का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अनुबन्ध के दो भाग होते हैं -

(1) एक पक्षकार द्वारा वजन (Promise) दिया जाता है।

(2) दूसरे पक्षकार द्वारा उस वजन के लिए प्रतिफल दिया जाता है।

अत: प्रतिफल लाभ-हानि, हित अहित तथा दायित्व के रूप में हो सकता है।

3.1.1 प्रतिफल की परिभाषा (Definition of Consideration) – ब्लैकस्टोन (Blackstone) के अनुसार–

"प्रतिफल एक ऐसी क्षतिपूर्ण है जो वचनदाता को उसके वचन के बदले में दूसरे पक्षकार द्वारा दिया जाता है।

पोलक (Pollock) के अनुसार "प्रतिफल वह कीमत है जिसके बदले दूसरे व्यक्ति का वचन खरीदा जाता है और इस कीमत के बदले में प्राप्त वचन को प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है।

अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2(d) के अनुसार, "जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, अथवा उसके करने से विरत रहा है, अथवा कोई कार्य करता है, अथवा उसके करने से विरत रहता है, अथवा कोई कार्य करने अथवा विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य विरत (Abstinence) या वचन, उस वचन का प्रतिफल कहलाता है।"

3.1.2 प्रतिफल के लक्षण या तत्त्व (Elements of Consideration)

(1) प्रतिफल कुछ कार्य या विरति या वचन हो सकता है (Consideration may be an Act or Abstinence or Promise) : प्रतिफल सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। उदाहरणार्थ 'अ' अपनी घड़ी 200 रुपये में 'ब' को बेचने का प्रस्ताव करता है 'ब' प्रस्ताव को स्वीकार कर 'अ' को 200 रुपये दे देता है। यहाँ 'ब' द्वारा भुगतान का काम प्रतिफल है। यहाँ प्रतिफल स्पष्ट (Positive Act) है लेकिन प्रतिफल नकारात्मक या अप्रत्यक्ष (Negative or Indirect act) भी हो सकता है। ऊपर लिखित उदाहरण में यदि 'ब', 'अ' के प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार न कर 10 रुपये के बदले 'अ' को एक महीने तक प्रस्ताव को स्थगित रखने के लिए सहमत करा ले तो यहाँ पर 'अ' का एक महीने तक घड़ी बेचने के काम से अलग रहना प्रतिफल होगा।

(2) प्रतिफल वचनदाता की इच्छानुसार हो (The consideration must move at the desire of the promiser) : प्रतिफल सदैव प्रस्तावक की इच्छा पर ही उत्पन्न होना चाहिए। यदि कोई कार्य प्रस्तावना की बिना इच्छा के अथवा अपनी इच्छा से अथवा तीसरे पक्षकार की इच्छा से किया गया है तो वह प्रतिफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव (Durga Parsad Vs. Baldev (1880) 3 All. 221) के विवाद में 'अ' ने जिलाधीश की प्रार्थना पर एक बाजार बनवाया। तत्पश्चात् 'ब' ने 'अ' को वचन दिया कि वह उस बाजार में अपनी एजेन्सी के द्वारा बिक्री पावर 'अ' को कमीशन देगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'ब' द्वारा कमीशन देने का वचन 'अ' के द्वारा प्रतिफल के अभाव में वैधानिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 'अ' ने 'ब' की इच्छा पर बाजार नहीं बनवाया था।

(3) कुछ प्रतिफल होना आवश्यक है (There must be some Consideration) : कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। परिभाषा में 'कुछ' शब्द महत्त्वपूर्ण है। इस शब्द से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिफल का होना तो आवश्यक है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह 'पर्याप्त' हो। प्रतिफल की पर्याप्तता को देखना प्रस्तावक का कर्त्तव्य है।

एनसन के अनुसार – "न्यायालय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह जांच करे कि प्रतिफल पर्याप्त है अथवा नहीं है।"

उदाहरण के लिए– X अपना घोड़ा जिसका मूल्य 10,000 रुपये है, Y को 100 रुपये में बचने का अनुबन्ध कर लेता है। X ने अपनी सहमति स्वेच्छा से दी है ऐसी स्थिति में वह एक अच्छा अनुबन्ध माना जाएगा यद्यपि यहाँ अपर्याप्त प्रतिफल है।

यद्यपि प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं होता, फिर भी विधान की दृष्टि से उसका कोई मूल्य होना जरूरी है, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं।

(4) प्रतिफल वचनग्रहीता अथवा किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से हो सकता है (The consideration may move from the Promisee or Somebody else) : प्रतिफल वचनग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। भारत में यह आवश्यक नहीं कि प्रतिफल वचनग्रहीता द्वारा ही दिया गया हो। उदाहरणार्थ चिन्नया बनाम रमय्या के विवाद में 'अ' ने लिखित दान–पत्र द्वारा अपनी कुछ सम्पत्ति अपनी पुत्री 'ब' को इस शर्त पर दी कि 'ब' 'अ' के भाई की कुछ निश्चित रकम वार्षिक रूप में दिया करेगी। 'ब' ने 'अ' के भाई को वार्षिक धन राशि देनी बन्द कर दी। 'अ' के भाई द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर 'ब' ने कहा कि 'अ' के भाई की ओर से कोई प्रतिफल नहीं दिये जाने के कारण उसे वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिफल 'अ' के भाई की ओर से अप्रत्यक्ष (Indirect) रूप से दिया जा चुका है। इस नियम को रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत (Doctrine of Constructive Notice) कहते हैं।

(5) प्रतिफल अवैधानिक नहीं होना चाहिए (Consideration must not be Illegal) : यदि किसी ठहराव का प्रतिफल अवैधानिक होता है तो ऐसा ठहराव धारा 23 के अन्तर्गत व्यर्थ होता है। जब किसी अनुबन्ध का प्रतिफल अवैधानिक होता है तो उस अनुबन्ध भंग से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

(6) "प्रतिफल" वर्तमान, भावी और भूत हो सकता है। (Consideration may be present, future or past)

(क) वर्तमान प्रतिफल (Present Considration) : अनुबन्ध करने के समय ही किसी काम को करना या काम से विरत रहना वर्तमान प्रतिफल कहलाता है। इस प्रकार जब कोई काम या काम से अलग रहना वचन के साथ ही पूरा होता है तो इसे वर्तमान प्रतिफल कहते हैं। जैसे 'अ' अपना घोड़ा 'ब' को 500 रुपये में बेचने को सहमत हो जाता है। 'अ' 'ब' को उसी समय घोड़ा दे देता है और 'ब' 'अ' को 500 रुपये दे देता है।

(ख) भावी प्रतिफल (Future Considration) : जब एक व्यक्ति वर्तमान अनुबन्ध के लिए भविष्य में कोई काम करने या काम से अलग रहने का वचन देता है तो ऐसा वचन अनुबन्ध के लिए भावी प्रतिफल कहलाता है। अतः भविष्य में किसी काम को करने या काम से विरत रहने को भावी प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 'अ' 'ब' की लड़की की शादी करने का वचन देता है और 'ब' को इस वचन के लिए 8000 रुपये देने का वचन देता है। यहाँ प्रत्येक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन का भावी प्रतिफल है।

(ग) भूत प्रतिफल (Past Considration) : वह काम या काम से अलग रहना जो भूतकाल में ही हो चुका है तथा जिसका बिना वैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा किये ही किसी व्यक्ति को लाभ पहुँच चुका है भूत प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए 'अ' एक गरीब व्यक्ति है। वह 'ब' से 50 रुपये की सहायता दान के रूप में माँगता है 'ब' 'अ' को 50 रुपये दान में दे देता है बाद में 'अ' 'ब' को रुपये वापिस कर देता है।

3.2 प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ – अपवाद ("No Consideration No Contract"-Exception to the Rule) :

सामान्यत: प्रतिफल के बिना अनुबन्ध वैध नहीं हो सकता किन्तु धारा 25 में दिए गए अपवादों के अनुसार अनुबन्ध बिना प्रतिफल के भी वैध हो सकते हैं।

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्रतिफल के बिना किया गया अनुबन्ध व्यर्थ होता है। उदाहरणार्थ- 'अ' बिना प्रतिफल के 'ब' को 500 रुपये देने का वचन देता है यह ठहराव व्यर्थ है। परन्तु धारा 25 के अन्तर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें बिना प्रतिफल के भी विधिमान्य ठहराव किये जा सकते हैं। धारा 25 में प्रतिफल के सिद्धान्त के निम्नलिखित अपवाद दिये गये हैं।

(1) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह पर आधारित ठहराव (Agreement based on Natural Love and Affection) : पक्षकारों के बीच प्राकृतिक स्नेह एवं प्रेम होने के कारण निकट सम्बन्धियों के बीच किया हुआ अनुबन्ध यदि वह लिखित एवं रजिस्टर्ड हो, बिना प्रतिफल मान्य होता है। इस प्रकार 25(1) के प्रवर्तनीय होने के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव (i) निकट सम्बन्धियों के बीच (ii) अनुबन्ध के पक्षकारों के मध्य स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण निर्मित होना चाहिए और (iii) इसका लिखित एवं रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ 'अ' प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के कारण अपने पुत्र 'ब' को 1000 रुपये देने का लिखित वचन देता है 'अ' अपने वचन को रजिस्ट्री करवा देता है। यह एक अनुबन्ध है।

(2) क्षतिपूर्ति का वचन होना (Promise to Compensate for Voluntary Services) : जब अनुबन्ध पूर्ण या आंशिक रूप से उस व्यक्ति को हानि की पूर्ति का वचन है जो पहले ही अपनी इच्छा से वचन देने वाले के लिए कोई कार्य कर चुका है अथवा कोई ऐसा कार्य किया है जिसे वचन देने वाला वैधानिक रूप से करने के लिए बाध्य था तो ऐसा अनुबन्ध मान्य है। अत: इस अपवाद के लागू होने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। धारा 25 (2)

(i) वह कार्य स्वेच्छा से किया गया हो।

(ii) वह कार्य वचनदाता के लिए किया गया हो।

(iii) वचनदाता, जिस समय कार्य किया गया था जीवित था तथा अनुबन्ध करने की क्षमता रखता था।

(iv) इसके अन्तर्गत वे कार्य भी आ जाते हैं जिनको वचनदाता वैधानिक रूप से करने के लिए बाध्य था। उदाहरण के लिए 'अ' को 'ब' की रुपयों की थैली पड़ी मिल जाती है और वह उसे 'ब' को दे देता है। इसके लिए 'ब' 'अ' को 50 रुपये का वचन देता है यह एक वैध अनुबन्ध है।

(3) अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का वचन (Promise to Pay a Time Barred Debt) : कोई भी ऋणदाता ऋणी से अवधि ऋण वैधानिक रूप से वसूल नहीं कर सकता। यदि ऋणी अपने किसी अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का वचन देता है तथा लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त अनुबन्ध करता है तो ऐसी स्थिति में बिना प्रतिफल के वैध माना जाता है।

उदाहरण के लिए 'अ' ने 'ब' से 1000 रुपये कर्ज लिया है लेकिन वह कर्ज समय ब्रीज जाने के कारण समाप्त हो गया है। 'अ' ऐसे कर्ज के लिए 500 रुपये देने का वचन हस्ताक्षर के साथ 'ब' को देता है। यह वह विधिमान्य अनुबन्ध है।

(4) एजेन्सी के अनुबन्ध (Contract oa Agency) : एक एजेन्सी के निर्माण के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। (धारा 185)

(5) नि:शुल्क निक्षेप (Gratuitous Bailment) में भी प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता।

(6) दान एवं भेंट (Promise or Gift) दान या भेंट में रुपया आदि देने के वचन को कानून द्वारा पूर्ण नहीं कराया जा सकता क्योंकि इसमें प्रतिफल का अभाव होता है। परन्तु जब दान मिल जाने की सम्भावना में दान प्राप्त-कर्त्ता कुछ व्यय इस कारण कर देता है कि दानदाता द्वारा दान देने से इन्कार किये जाने पर उसे हानि होती है तो उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

धारा 25 के स्पष्टीकरण के अनुसार अगर दान वास्तव में कर दिया गया है तो वह धारा इस दान की मान्यता को प्रभावित नहीं करती।

उदाहरण – 'अ' एक मस्जिद के मन्त्री 'ब' को मस्जिद में एक कमरा बनवाने के लिए 1000 रुपये में देने का वचन देता है। मन्त्री ने रुपया मिल जाने के विश्वास पर कमरा बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया और अपने ऊपर कुछ दायित्व से लिया। 'अ' द्वारा रुपया देने से मुकर जाने पर 'ब' वाद प्रस्तुत करता है यहाँ 'अ' 1000 रुपये देने के लिए बाध्य है।

3.3 अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य (Unlawful Considration and Object)

एक वैध अनुबन्ध के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं कि उचित प्रतिफल हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि प्रतिफल या उद्देश्य अवैधानिक न हों, क्योंकि ऐसा अनुबन्ध जिसका प्रतिफल एवं उद्देश्य अवैध हो, व्यर्थ होता है। धारा के अनुसार, प्रत्येक ठहराव निम्नलिखित दशाओं में अवैधानिक माना जाता है।

(i) यदि यह कानून द्वारा वर्जित हो या

(ii) वह इस प्रकार का हो यदि अनुमति दे दी जाए, तो वह किसी भी अन्य अधिनियम के आदेशों को निष्फल कर देगा अथवा

(iii) यदि वह कपटमय हो अथवा

(iv) यदि उससे दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचती हो अथवा

(v) यदि न्यायालय की दृष्टि में वह अनैतिक अथवा लोकनीति के विरुद्ध हो। (धारा 23)।

(1) यदि वह राजनियम द्वारा वर्जित हो (If it is forbidden by Law) : किसी ठहराव के लिए प्रतिफल इस दृष्टिकोण से राजनियम द्वारा वर्जित माना जा सकता है कि उस कार्य को करना अवैधानिक है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर हुण्डी लिखना, जो कि मांग पर देय हो, अवैधानिक है। यदि किसी अनुबन्ध का उद्देश्य इस तरह की हुण्डी लिखना है तो उद्देश्य अवैधानिक ही होगा। इस प्रकार किसी अनुबन्ध का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन का अन्त करना है तो ऐसा उद्देश्य भी अवैधानिक होगा। यह ठहराव व्यर्थ है क्योंकि इसका उद्देश्य अवैधानिक है। (धारा 23 का उदाहरण (c))

(2) यदि अनुबन्ध का उद्देश्य ऐसा है कि उसे पूरा करने की अनुमति देने पर वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा (If it is such a Nature that if Permitted it would Defeat the Provisions of any Law) : जब किसी ठहराव का उद्देश्य अथवा प्रतिफल ऐसा है कि वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देता है तो ऐसा उद्देश्य अथवा प्रतिफल अवैधानिक होता

है उदाहरणार्थ 'अ' एक अपराधी से भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपेक्षा की गयी थी कि वह अपने आचरण के लिए 5000 रुपये का प्रतिभूति प्रस्तुत करे। 'अ' ने 'ब' के पास पांच हजार जमा करके उसे अपना प्रतिभू बनने के लिए तैयार कर लिया। प्रतिभूति की अवधि व्यतीत होने पर 'अ' 'ब' की धनराशि को वापिस करने के लिए वाद प्रस्तुत करता है। यह निर्णय हुआ कि वह उस धनराशि को वापस प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अनुबन्ध की यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जोखिम पर प्रतिभूति होगा। ऐसे ठहराव से व्यवस्था निष्फल हो गयी है।

(3) यदि किसी अनुबन्ध का उद्देश्य धोखा देना है (If it is fraudulent) : ऐसा कोई ठहराव, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना है तो ऐसे ठहराव अवैध उद्देश्य तथा प्रतिफल वाले माने जाते हैं जो पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं उदाहरण के लिए 'अ' जमीन के मालिक का एजेन्ट होने की हैसियत से अपने मालिक की जानकारी के बिना 'ब' से रुपया लेकर मालिक की जमीन का पट्टा 'ब' के लिए प्राप्त करने का ठहराव करता है। 'अ' और 'ब' के बीच का ठहराव व्यर्थ है क्योंकि यहाँ 'अ' अपने मालिक को छुपाव द्वारा धोखा देता है। इस सम्बन्ध में Alexander Vs. Rayson (1936) L.K.B. 109 विवाद महत्त्वपूर्ण है।

(4) यदि किसी अनुबन्ध का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को हानि पहुँचाना है (If it involves or implies injury of the person or property of another) : ऐसा कोई ठहराव, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हानि पहुँचाना है तो ऐसे ठहराव अवैध उद्देश्य तथा प्रतिफल वाले माने जाते हैं और पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए 'अ' ने 'ब' के साथ अनुबन्ध किया था कि 'ब' किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपवादजनक खबर छापेगा। 'अ' ने यह वचन दिया कि 'ब' के विरुद्ध कोई कार्यवाही होने पर 'अ' उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। न्यायालय ने इस ठहराव को व्यर्थ घोषित किया।

(5) यदि न्यायालय किसी उद्देश्य को अनैतिक अथवा लोकनीति के विरुद्ध समझे (If Courts regards it is immoral or being opposed to public policy) – अनैतिकता राजनियम की दृष्टि में अपराध है। अत: ऐसा कोई अनुबन्ध जिसमें अनैतिकता को प्रोत्साहन मिले, व्यर्थ कहलाता है। उदाहरणार्थ- 'अ' अपनी लड़की को किसी पर-पुरुष के साथ सहवास के लिए किराए पर देने का ठहराव करता है तो यह ठहराव व्यर्थ होगा क्योंकि 'अ' का कार्य अनैतिक है।

3.4 लोक-नीति के विरुद्ध ठहराव (Agreement Against Public Policy)

वे ठहराव जो राष्ट्र व जनता के साधारण कल्याण के प्रतिकूल है लोकनीति के विरुद्ध समझे जाते हैं जैसे युद्धकाल में शत्रु देशों के साथ व्यापार करना अथवा देश के साधनों को शत्रु के हाथों सौंप देना, किसी व्यक्ति पर असुविधाजनक अथवा अनावश्यक अथवा अवैधानिक रुकावट डालना जिससे वह वैधानिक रूप से व्यापार करने के अधिकार से वंचित हो जाए। अग्रलिखित ठहराव लोकनीति के विरुद्ध समझे जाते हैं।

(1) न्याय में बाधा डालने वाले ठहराव (Agreement stifling prosecution) : ऐसे ठहराव, जिससे अपराधी को दण्ड देना असम्भव हो जाए या अपराधी दण्डमुक्त हो जाए, न्याय में बाधा डालने वाले ठहराव कहलाते हैं। ऐसे ठहराव अवैध होते हैं उदाहरण के लिए 'ब' ने 'अ' को खून करते हुए देखा है। यदि 'ब' 'अ' के साथ ठहराव करे कि अगर 'अ' उसे 10,000 रुपये दे दे तो 'ब' खून करने की सूचना पुलिस को नहीं देगा। यह ठहराव व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि यह न्याय में बाधा पहुँचाने वाला है।

(2) न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप के ठहराव (Agreement interfering with Course of Justice) : ऐसे ठहराव, जिनसे न्याय प्रणाली में बाधा पहुँचती हो, व्यर्थ होते हैं जैसे किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए धन देने का वचन या किसी के विरुद्ध हुई डिक्री को रोकने का ठहराव व्यर्थ है। इसी तरह न्यायाधीश को रिश्वत दे कर निर्णय अपने पक्ष में लिखवाना लोकनीति के विरुद्ध है।

(3) मुकदमे को अनुचित रूप से बढ़ाने वाले ठहराव (Agreement tending to an abuse of legal process) : ऐसे ठहराव दो तरह के होते हैं -

(क) मेन्टीनेन्स अथवा वाद-पोषण (Maintenance)

(ख) चैम्पर्टी अथवा वाद-क्रय (Champerty)

(क) मेन्टीनेन्स अथवा वाद-पोषण : ऐसा ठहराव जिससे कोई बाहरी व्यक्ति किसी ऐसे केस की पैरवी करता है अथवा विवाद के एक पक्षकार को धन देकर या अन्य तरह से सहायता पहुँचाता है जिससे उसका अपना कोई हित नहीं है तो उसे मेन्टीनेन्स का ठहराव कहा जाता है। ऐसे ठहराव उस समय लोकनीति के विरुद्ध माने जाते हैं जबकि ठहराव का उद्देश्य अनुचित रूप से मुकदमें को बढ़ावा देना हो (Ram Vs. Chandra Kant 2 Cal.233)।

(ख) चैम्पर्टी अथवा वाद-क्रय : ऐसा ठहराव जिसमें एक व्यक्ति किसी मुकदमे को आगे बढ़ाने में आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की सहायता पहुँचाता है और विवाद से प्राप्त धन सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करता है तो इसे चैम्पर्टी का ठहराव कहते हैं। चैम्पर्टी का ठहराव अवैधानिक और लोकनीति के विरुद्ध है या नहीं इसका निर्धारण वाद की परिस्थितियाँ, पक्षकारों के उद्देश्य एवं सम्पत्ति में कितना हिस्सा प्राप्त करने का ठहराव किया गया है, आदि बातों पर निर्भर करता है।

(4) विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने का ठहराव (An Agreement to trade with enemy) : जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, तो उस देश के निवासी विदेशी शत्रु कहलाते हैं। भारत सरकार की बिना पूर्व-स्वीकृति प्राप्त किये यदि भारतीय नागरिक विदेशी शत्रु के साथ ठहराव करता है, तो वह ठहराव लोकनीति के विरुद्ध है और व्यर्थ कहलाता है।

(5) लिमिटिड अवधि अधिनियम की अवधि में परिवर्तन के कारण (Agreement Limiting the period of Limitation Act) : ऐसे सभी ठहराव जो समय-सीमा अधिनियम (Limitation Act) द्वारा निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, व्यर्थ कहलाते हैं।

(6) दलाली लेकन विवाह कराने के अनुबन्ध (Marriage Brokerage Agreement) : धन लेकर किसी व्यक्ति की शादी करवाना वैवाहिक दलाली कहा जाता है। भारत में किसी लड़की के माता-पिता द्वारा लड़की के विवाह के लिए धन लोकनीति के विरुद्ध है अत: ऐसे ठहराव व्यर्थ हैं।

(7) धन लेकर नौकरी दिलाने के ठहराव (Agreement trafficking in public offices) : यदि रुपया लेकर सरकारी नौकरी के क्रय-विक्रय का ठहराव किया जाता है तो वह व्यर्थ होता है क्योंकि यह लोकनीति के विरुद्ध है।

(8) उपाधि विक्रय का ठहराव (Agreement to sell public titles) : यदि भारत सरकार द्वारा किसी महापुरुष को किसी उपाधि से अलंकृत किया गया है, तो वह व्यक्ति उसको नहीं बेच सकता है क्योंकि यह कार्य लोकनीति के विरुद्ध है।

(9) एकाधिकार के ठहराव (Agreement of Monopolies) : एकाधिकार स्थापित करने का ठहराव लोकनीति के विरुद्ध है, अतः व्यर्थ हैं।

(10) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाले ठहराव (Agreement restricting personal liability) : ऐसे ठहराव जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में किसी प्रकार रुकावट उत्पन्न करता हो, लोकनीति के विरुद्ध है अतः व्यर्थ कहलाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को दास या गुलाम बनाने का ठहराव भी व्यर्थ होता है।

(11) नीलाम में बोली लगाने वाले ठहराव (Agreement in restricting in Auction) : नीलाम द्वारा वस्तुओं के विक्रय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्यों से बोली न लगाने का ठहराव, अवैधानिक माना जाता है और व्यर्थ कहलाता है।

(12) पैतृक अधिकार में रुकावट पैदा करने वाले ठहराव (Agreement in restraint of perental rights) : अवयस्क बच्चों के माता-पिता उनके कानूनी रूप से संरखक माने जाते हैं। यदि ऐसा कोई ठहराव जिसमें माता-पिता अपने इस अधिकार से वंचित हो जाए व्यर्थ होता है क्योंकि यह लोक-नीति के विरुद्ध है।

अनुबन्ध करने के योग्य पक्षकार (Contractual Capacity of the Parties)

एक वैध अनुबन्ध के लिए आवश्यक है कि पक्षकार अनुबन्ध करने के योग्य हो अथवा पक्षकारों के अनुबन्ध करने की योग्यता हो।

3.5 अनुबन्ध करने की क्षमता का आशय (Meaning of Contractual Capacity) : एक वैध अनुबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जो अनुबन्ध करने के योग्य हो। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा के अनुसार - "प्रत्येक वह व्यक्ति अनुबन्ध करने के योग्य है जो सम्बन्धित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का है तथा जो स्वस्थ मस्तिष्क का है और जो किसी राजनियम के द्वारा अनुबन्ध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है।"

अतः अनुबन्ध करने योग्य व्यक्ति में निम्नलिखित तीन बातों का होना आवश्यक है-

(1) वह सम्बन्धित राजनियम के अनुसार वयस्क हो।

(2) वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो।

(3) उसे किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

दूसरे शब्दों में निम्नलिखित व्यक्ति अनुबन्ध करने के अयोग्य होते हैं -

(1) अवयस्क अथवा नाबालिग।

(2) ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है (पागल, मूर्ख, शराबी)।

(3) ऐसे व्यक्ति जो किसी कानून द्वारा अनुबन्ध करने के योग्य है (विदेशी शत्रु, राजदूत, कैदी)।

प्रायः कानून की दृष्टि में यह समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबन्ध करने के योग्य है। अतः जब कोई व्यक्ति अनुबन्ध करने के अयोग्य होने के कारण दायित्व से मुक्त होने का दावा करता है तो उसी को यह प्रमाणित करना होता है कि वह अनुबन्ध करने के अयोग्य है।

3.5.1 (क) अवयस्क द्वारा किया गया अनुबन्ध (Minor's Contract)

अवयस्क से अभिप्राय: अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने अपने देश के अधिनियम (कानून) के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। अत: भिन्न-भिन्न देशों में वयस्कता की आयु भी भिन्न-भिन्न है।

भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वयस्क माना जाएगा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। परन्तु यदि न्यायालय द्वारा अवयस्क के लिए अथवा उसकी सम्पत्ति के लिए अथवा दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया हो अथवा उसकी सम्पत्ति 18 वर्ष की आयु से पहले ही 'कोर्ट ऑफ बॉर्डस' (Court of Wards) के निरीक्षण में हो तो ऐसा व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर हो व्यस्क होता है। इस प्रकार भारतीय राजनियम के अनुसार कोई एक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही वयस्क माना जाता है। अंग्रेजी राजनियम में 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही वयस्क माना जाता है।

3.5.2 "अवयस्क के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति" (Legal Position Regarding Minor) :

अवयस्क के साथ किये गये अनुबन्धों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है -

(अ) स्पष्ट रूप से अनुबन्ध (Absolutely Void Contracts)

(ब) वैध अनुबन्ध (Valid Contract)

(स) व्यर्थनीय अनुबन्ध (Voidable Contract)

भारतवर्ष में अवयस्क द्वारा अनुबन्ध करने की क्षमता के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं-

(1) अवयस्क के साथ किया गया अनुबन्ध पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है : धारा 11 के अनुसार अवयस्क के साथ किया गया अनुबन्ध पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। अत: यदि कोई अव्यस्क किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत कुछ धन प्राप्त कर लेता है अथवा किसी कार्य को करने का वचन देता है तो उसे न तो धन लौटाने के लिए और न ही कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अवयस्क के साथ अनुबन्ध करने वाले पक्षकार को उसके अवयस्क होने की जानकारी न भी हो तो भी अवयस्क द्वारा किया गया अनुबन्ध पूर्ण व्यर्थ होता है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण केस निम्नलिखित हैं -

मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष (1930) : इस विवाद में धर्मदास एक अवयस्क था। उसने 20 जुलाई 1905 को अपनी सम्पत्ति की जमानत पर 20,000 रुपये का बन्धक लिखा, किन्तु उसे 8000/- रुपये मोहरी बीबी के पति के लिए धर्मदास से यह घोषणा भी लिखित रूप से ले ली गई कि वह वयस्क हो गया है लेकिन बाद में अवयस्क ने बन्धक को रद्द करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। मोहरी बीबी के पति की तरफ से यह कहा गया कि अनुबन्ध व्यर्थनीय था और अवयस्क उसका परित्याग कर रहा है। अत: अनुबन्ध की धारा 64 और 65 के अनुसार अवयस्क को दिया गया 8000 रुपये वापिस होना चाहिए। प्रीवी कौसिल (Privy Council) के निर्णय देते हुए यह बताया कि अवयस्क का अनुबन्ध बिल्कुल व्यर्थ होता है। इसलिए अनुबन्ध के अधीन प्राप्त रकम लौटाने के लिए अवयस्क उत्तरदायी नही है। इस विवाद से पहले कानूनी मत था कि अवयस्क के साथ किया गया अनुबन्ध व्यर्थनीय (Voidable) होता है, व्यर्थ (Void) नहीं। किन्तु इस विवाद में स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि अवयस्क द्वारा किया गया अनुबन्ध न केवल व्यर्थ है अपितु पूरी तरह व्यर्थ (Absolutely Void) है।

(2) जीवन की आवश्यकताओं के लिए किये गये अनुबन्ध के लिए दायित्व : यद्यपि एक अवयस्क ऋण लेने के लिए अथवा लाभ के लिए किसी वस्तु या सम्पत्ति के क्रय करने का वैधानिक

अनुबन्ध नहीं कर सकता, किन्तु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अनुबन्ध कर सकता है। ऐसी स्थिति में अवयस्क की सम्पत्ति दायी होगी, उसे व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता।

अवयस्क के जीवन की आवश्यकताएँ उसकी आर्थिक स्थिति और रहन-सहन के स्तर पर निर्भर करती है। आवश्यक आवश्यकताओं से तात्पर्य उसके जीवन-स्तर के अनुरूप आवश्यकताओं से है। अवयस्क के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी व्यय, उसके स्वयं के तथा उसके आश्रितों के विवाह, यात्रा सम्बन्धी व्यय, अन्तिम संस्कार सम्बन्धी व्यय, सम्पत्ति की रक्षा के लिए किये गये व्यय एक अवयस्क की आवश्यक आवश्यकताओं पर किये गये व्यय माने जायेंगे।

अत: राजनियम अवयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के भुगतान को स्वीकार करते हुए उसे (मूल्य) उसकी सम्पत्ति से दिलवाता है। किन्तु जीवन की इन आवश्यकताओं के लिए अवयस्क स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता।

(3) अवयस्क के लाभ के लिए अनुबन्ध वैध होते हैं : अव्यस्क के साथ किया गया अनुबन्ध व्यर्थ होता है लेकिन एक अवयस्क को वचनग्रहीता होने से नहीं रोका जा सकता अर्थात् एक अवयस्क अपने लाभ के लिए किए गए अनुबन्ध को प्रवर्तनीय करा सकता है। लेकिन अनुबन्ध के अधीन उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एक अवयस्क के लाभ के लिए लिखा गया प्रतिज्ञा-पत्र भी वैध होता है। एक अवयस्क विनिमय-साध्य प्रलेख लिख सकता है, उसका हस्तांतरण तथा बेचान कर सकता है और विलेख के अधीन दूसरे पक्षकार को उत्तरदायी ठहरा सकता है लेकिन स्वयं उत्तरदायी नहीं होता।

(4) अवयस्क के संरक्षक द्वारा वैध अनुबन्ध : यदि अवयस्क के संरक्षक अथवा अवयस्क की सम्पत्तियों के निरीक्षक अवयस्क की ओर से उसके लाभ के लिए अनुबन्ध करते हैं, तो वह अनुबन्ध होता है, और अवयस्क के विरुद्ध लागू किया जा सकता है परन्तु इस प्रकार का अनुबन्ध दो शर्तों के साथ किया जाना चाहिए -

(अ) अवयस्क का संरक्षक या सम्पत्तियों का निरीक्षक अनुबन्ध करने की क्षमता रखता हो।

(ब) अनुबन्ध अवयस्क की भलाई अथवा लाभ के लिए वैधानिक रूप से किया गया हो।

उदाहरण के लिए, अवयस्क की सम्पत्ति उसके संरक्षक द्वारा विक्रय या बन्धक रखी जा सकती है और अवयस्क इसके लिए उत्तरदायी होगा किन्तु यदि यह सिद्ध हो जाता है कि संरक्षक ने ऐसा अवयस्क के लाभ या भलाई के लिए नहीं किया है तो अवयस्क ऐसे विक्रय अथवा बन्धक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित केस उल्लेखनीय है -

राजरानी बनाम प्रेमादीन पिक्चर्स : राजरानी जो एक अवयस्क थी, के पिता ने प्रेमादीप पिक्चर्स से एक ठहराव किया इसके अनुसार प्रतिवादी ने वादी को अपने यहाँ 9500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पर एक कलाकार के रूप में नियुक्त किया। एक माह बाद वादी को सेवामुक्त कर दिया गया। वादी ने प्रतिवादी पर क्षतिपूर्ति का दावा किया। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि एक अवयस्क लड़की के संरक्षक या माता-पिता द्वारा किया गया नौकरी के लिए ठहराव प्रतिफल के अभाव के कारण व्यर्थ होता है अत: राजरानी को क्षति-पूर्ति नहीं दिलाने जा सकती है।

(5) कम्पनी में अवयस्क की स्थिति : अवयस्क किसी भी कम्पनी के अंश खरीद सकता है और यदि कम्पनी के अन्तर्नियम स्वीकृति दे तो उस कम्पनी का अंशधारी भी बन सकता है किन्तु यानाओं (Calls) के लिए अवयस्क को व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता। वयस्क होने पर यदि अवयस्क अपने पुराने अनुबन्ध को रद्द न करे तो वह पूर्ण रूप से कम्पनी का सदस्य हो जाता है और सदस्यता

के लिए उत्तरदायी भी होता है किन्तु अवयस्क को पूर्णदत्त (Full Paid-up) अंश ही देना चाहिए, आंशिक भुगतान (Partly Paid up) अंश नहीं।

(6) एजेन्ट के रूप में अवयस्क : किसी अवयस्क की नियुक्ति एजेन्ट के रूप में हो सकती है परन्तु तृतीय पक्ष के प्रति अवयस्क एजेंटों के प्रत्येक कार्य के लिए उसका नियोक्ता उत्तरदायी होता है, अवयस्क एजेन्ट अपने नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अवयस्क एजेन्ट की लापरवाही, कर्त्तव्य पालन न करने अथवा जानबूझकर गलती करने के कारण होने वाली किसी क्षति की पूर्ति उसका नियोक्ता उससे नहीं करा सकता।

(7) सांझेदार के रूप में अवयस्क : भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अवयस्क सांझेदार नहीं हो सकता परन्तु सभी सांझेदारी की सहमति से एक अवयस्क को सांझेदारी कर्म के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसे अवयस्क को फर्म की सम्पत्ति और लाभ में वह भाग पाने का अधिकार है जो पहले निश्चित कर लिया गया हो। परन्तु अवयस्क फर्म के कार्यो के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। उसके लिए फर्म की सम्पत्ति तथा लाभ में उसका भाग ही फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

(8) विनिमय लेख-पत्रों के/सम्बन्ध में अवयस्क की स्थिति : एक अवयस्क एक विनिमय-साध्य विलेख में वचनगृहीता (Promisee), (लेनदार) (Payee), बेचान कर्त्ता (Endorsee) हो सकता है। विनिमय साध्य लेखापत्रों के अधिनियम की धारा 26 के अनुसार अवयस्क विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र और चैक लिख सकता है, दूसरे का हस्तान्तरण कर सकता है, बेचान कर सकता है तथा सुपुर्द कर सकता है, किन्तु इनके लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि विनिमय-साध्य लेख-पत्र के अन्य सभी पक्षकार इनके लिए उत्तरदायी होंगे। जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी विनिमय साध्य-लेख-पत्र लिखकर या स्वीकार करके अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्तिकर्त्ता अवयस्क की सम्पत्ति से उसका भुगतान पा सकता है।

(9) अवयस्क पर अवरोध का सिद्धान्त लागू नहीं होता : एक अवयस्क सदैव अनुबन्ध का सहारा ले सकता है, उसके ऊपर अवरोध का सिद्धान्त लागू नहीं होता। यदि अनुबन्ध करते समय उसने झूठी आयु (वयस्कता की आयु) बतला कर अनुबन्ध कर लिया हो तब भी वह यह सिद्ध करने के लिए नहीं रोका जा सकता कि अनुबन्ध करते समय वह अवयस्क था। कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन का दोषी होने पर भी उस पर अवरोध का सिद्धान्त लागू नहीं होता। इस सम्बन्ध में (Nawab Sadiq Ali Khan Vs. Jai Kishor) का केस महत्त्वपूर्ण है। इस विवाद में जब किशोर ने अपने को व्यस्क बताकर एक प्रलेख वादी नवाब सादिक अली खाँ के पक्ष में लिखा। वादी द्वारा मुकदमा चलाने पर न्यायालय ने प्रतिवादी जय किशोर को कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन करने पर भी दायित्व से मुक्त कर दिया।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कानून अवयस्कों को धोखा देने का अधिकार प्रदान करता है। यदि अवयस्क ने कपट करके दूसरे व्यक्ति से सम्पत्ति प्राप्त कर ली है अथवा कोई ऋण ले लिया है तो न्यायालय ऐसे व्यवहार को रद्द कर पीड़ित पक्षकार की क्षतिपूर्ति करा सकता है।

(10) अवयस्क द्वारा किये गए अनुबन्ध का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता **:** अवयस्क के साथ किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही व्यर्थ होता है। अत: वयस्क होने पर अवयस्कता की दशा में किये गये अनुबन्धों का वह पुष्टिकरण नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में 'बिन्देश्वरी बनाम चण्डिका' तथा 'अरमूगर बनाम दुराईसिंह' के केस महत्त्वपूर्ण है।

वयस्क होने की अवयस्कता की दशा में प्राप्त धन को लौटाने का ठहराव भी नियमानुसार लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवयस्कता की अवस्था में दिया गया प्रतिफल राजनियम की पुष्टि से प्रतिफल नही माना जाता।

(11) अवयस्क का प्रतिभूति अवयस्क के लिए उत्तरदायी : जब कोई व्यक्ति अवयस्क के लिए प्रतिभूति (Surety) देता है तो वह ऋणदाता के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अवयस्क द्वारा वचन पूरा न करने की स्थिति में प्रतिभू को वचन का निष्पादन करना पड़ता है।

(12) अवयस्क दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता : अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि जो व्यक्ति अनुबन्ध करने के योग्य ही नहीं है और जो लेनदार के लिए स्वयं उत्तरदायी भी नहीं हो सकता, वह देनदार भी नहीं हो सकता। अत: ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से दायीं नहीं ठहराया जा सकता हो उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता।

3.6 (ख) अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति (Persons of Unsound Mind) "

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा-11 के अनुसार, अनुबन्ध करने के योग्य लाने के लिए अनुबन्ध का, पक्षकारों का स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत ही आवश्यक है अन्यथा अनुबन्ध रद्द समझा जाएगा।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जा सकता है जो अनुबन्ध करते समय अनुबन्ध को समझने की क्षमता रखता हो और साथ ही उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो कि अनुबन्ध का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारा 12 में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुबन्ध करते समय ही मस्तिष्क का स्वस्थ रहना परमावश्यक है। अनुबन्ध करने से पहले तथा बाद में मस्तिष्क का स्वस्थ रहना अनिवार्य नहीं है।

इस बारे में धारा 12 में दो बात बतलायी गई है -

(i) जो व्यक्ति प्राय: अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किन्तु कभी-कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है - तो उस समय अनुबन्ध कर सकता है जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो। उदाहरण के लिए पागलखाने का कोई रोगी जिसका मस्तिष्क कभी-कभी स्वस्थ हो जाता है उस समय अनुबन्ध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो।

(ii) जो व्यक्ति सामान्य रूप से तो स्वस्थ मस्तिष्क का है, किन्तु कभी-कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है - तो उस समय कोई अनुबन्ध नहीं कर सकता जबकि उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो। जैसे स्वस्थ मस्तिष्क का कोई व्यक्ति, जो बुखार से बेहोश हो वह अनुबन्ध की शर्तो को नहीं समझ सकता हो उस समय तक अनुबन्ध नहीं कर सकता - जब तक उसकी बेहोशी दूर न हो जाए। साधारणतया पागल, मूर्ख और शराबी अस्वस्थ मस्तिष्क के समझे जाते हैं।

मूर्ख, पागल तथा शराबी या बेसुध के साथ अनुबन्ध – मूर्ख या पागल या शराबी के साथ किए गए अनुबन्ध व्यर्थ होते हैं। भारतीय पागलपन अधिनियम (Indian Lunacy Act) के अनुसार जबकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय पागल घोषित कर देता है और एक कमेटी बना देता है, तो जब तक न्यायालय की आज्ञा रहती है तब तक पागल द्वारा स्वस्थता में भी किया गया अनुबन्ध वैधानिक रूप से लागू नहीं हो सकता।

किसी पागल के साथ शादी करने का अनुबन्ध वैध नहीं होता। पागल या मूर्ख व्यक्तियों को अथवा उस व्यक्ति को जिसका पालन-पोषण करने के लिए वह पागल या मूर्ख व्यक्ति उत्तरदायी होता है। जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ति करने पर उनका मूल्य पागल की सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति जो जन्मजात मूर्ख होते हैं उनमें अनुबन्ध को समझने की क्षमता तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती ऐसे व्यक्ति से किये गये अनुबन्ध (आवश्यक आवश्यकताओं से सम्बन्धित अनुबन्धों को छोड़कर पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं।)

किसी शराब अथवा बुखार से पीड़ित व्यक्ति द्वारा उस समय जबकि वह अनुबन्ध को समझने तथा उस पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अनुबन्ध किया जाता है कि ऐसा अनुबन्ध व्यर्थ होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में वे अनुबन्ध के अयोग्य माने जाते हैं। वे उस समय वैध अनुबन्ध कर सकते हैं जब उनका नशा उतर गया अथवा उनकी सुष लौट आये।

3.7 (ग) राजनियम द्वारा अनुबन्ध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति (Persons declared to be disqualified to contract by Law) :

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, वे व्यक्ति जो किसी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित हैं, अनुबन्ध करने के योग्य नहीं है, निम्नलिखित हैं –

(1) राजनीतिक स्थिति के कारण अयोग्य व्यक्ति (Persons disqualified due to their political status) : कुछ व्यक्ति राजनीतिक स्थिति के कारण अनुबन्ध करने के अयोग्य होते हैं, उदाहरण के लिए (क) विदेशी शत्रु (ख) विदेशी सम्राट, राजदूत और प्रतिनिधि।

(क) विदेशी शत्रु (Alien Enemy) : किसी देश का नागरिक जिसके साथ भारतीय संघ का युद्ध छिड़ जाता है वह विदेशी शत्रु हो जाता है। युद्ध के समय में विदेशी शत्रु भारतीय नागरिक के साथ न तो अनुबन्ध कर सकता है और न ही किसी भारतीय नागरिक पर, केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना कोई वाद ही प्रस्तुत कर सकता है। युद्ध छिड़ने के पहले का अनुबन्ध या तो रद्द कर दिया जाता है या युद्धकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। विदेशी शत्रु द्वारा साझेदारी व्यापार में भाग लेने का अनुबन्ध भी युद्ध छिड़ने पर रद्द कर दिया जाता है। यदि कोई कम्पनी विदेशी शत्रुओं द्वारा नियन्त्रित या संचालित की जाती है जो विदेशी शत्रुओं की कम्पनी समझी जाती है।

(ख) विदेशी सम्राट, राजदूत तथा प्रतिनिधि (Foreign Sovereigns, Ambassadors and Representatives) : विदेशी सम्राट, उनके प्रतिनिधि अथवा राजदूत भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इनको कुछ विशेष सुविधाएँ एवं विमुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिनके अनुसार उन पर भारतीय न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किन्तु वे अपनी इच्छानुसार भारत में अनुबन्ध कर सकते हैं और उसे भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करा सकते है। जो पहले सम्राट रह चुके हैं किन्तु अब सम्राट नहीं है, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। सीविल प्रोसीजर कोड की धाराएँ 84 से 87 में विदेशी सम्राट अथवा विदेशी राजदूत पर वाद चलाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

(2) कैदी (Convicts) : कोई कैदी या अपराधी वैध अनुबन्ध नहीं कर सकता लेकिन यदि अपराधी सजा पाने से पहले अनुबन्ध कर चुका हो तो अनुबन्ध को पूरा करने के लिए वह प्रबन्धक नियुक्त कर सकता है। सजा काट लेने के बाद अपराधी भी वैधानिक रूप से अनुबन्ध कर सकता है और दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है। अत: अपराधी के लिए अनुबन्ध करने का अधिकार या मुकदमा चलाने का अधिकार कुछ समय के लिए ही स्थगित हो जाता है और मुक्त होने पर पुन: प्राप्त हो जाता है।

(3) कुछ व्यक्ति अपने ऊँचे पेशे (Higher Profession) के कारण अनुबन्ध करने के योग्य नहीं होते – उदाहरण के लिए (क) बैरिस्टर और (ख) चिकित्सक।

(क) बैरिस्टर : इंग्लैड में बैरिस्टर अपनी फीस के लिए मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि वहाँ बैरिस्टर का पेशा प्रतिष्ठापूर्ण समझा जाता है किन्तु भारत में 1927 ई. के बार कौंसिल एक्ट (Bar Council Act, 1927) के पास होने के बाद बैरिस्टर और एडवोकेट को अपने पेशे के लिए अनुबन्ध करने और फीस के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार है।

(ख) चिकित्सक : भारत में कुछ समय पहले चिकित्सक और डॉक्टर अपनी फीस के लिए मुकदमा नहीं चला सकते थे, किन्तु अब ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(4) समामेलित कम्पनियाँ अथवा निगम (Incorporated Companies or Corporations) : कानून की दृष्टि में एक कम्पनी अथवा निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये स्वयं कोई अनुबन्ध नहीं कर सकते । ये कोई भी अनुबन्ध अपने एजेन्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं के अनुबन्ध करने के सम्बन्ध में पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अन्तर्नियमों द्वारा सीमा निर्धारित होती है और उन सीमाओं के बाहर कोई कम्पनी अथवा निगम अनुबन्ध नहीं कर सकती ।

(5) विवाहित स्त्रियाँ (Married Women) : भारत के संविधान में स्त्री का पुरुष के साथ समानता के साथ व्यवहार करने के अधिकार की गारण्टी दी गई है। यह मूलभूत अधिकार है। भारत की स्त्रियाँ, चाहे विवाहित हो अथवा नहीं, पुरुष के बराबर ही अनुबन्ध करने की क्षमता रखती है। 'अनुबन्ध करने की क्षमता' के सम्बन्ध में पुरुषों व स्त्रियों में कोई अन्तर नहीं है। वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क की विवाहित अथवा अविवाहित स्त्री अपनी इच्छानुसार अनुबन्ध कर सकती है। यह नियम हिन्दु, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी व अन्य जाति की स्त्रियों के लिए है। किसी भी प्रकार के अनुबन्ध के लिए उसके पति की सहमति अनिवार्य नहीं होती।

भारत में भी मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई तथा अन्य सभी विवाहित स्त्रियाँ, विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति अधिनियम 1874 (Married Women Property Act, 1874) की धारा 4 के अनुसार पृथक् सम्पत्ति (Separate Property) जिसे स्त्रीधन कहते हैं, रख सकती है और सम्बन्ध में अनुबन्ध भी कर सकती है। यदि पति अपनी पत्नी का पोषण करने से इन्कार कर देता है तो विवाहित स्त्रियाँ जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुबन्ध कर सकती है और ऐसे अनुबन्ध के लिए उनके पति दायी होते हैं। किन्तु जब कोई स्त्री अपनी इच्छा से अपने पति से अलग होकर उसको छोड़ देती है तो ऐसी दशा में उसका पति उसकी जीवन की आवश्यकताओं के अनुबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होता।

4. सारांश (Summary)

साधारण बोलचाल की भाषा में प्रतिफल वह कीमत है जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति के वचन को खरीदा जा सकता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ होता है 'बदले में कुछ'। एक प्रतिफल के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए तथा वह निश्चित तथा स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिफल किसी कार्य को करने या न करने के बारे में हो सकता है जिसे धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिफल भी कहा जाता है। प्रतिफल भूत, भविष्य या वर्तमान व्यवहारों से सम्बन्धित भी हो सकता है। सामान्यतया प्रत्येक अनुबन्ध में प्रतिफल का होना आवश्यक होता है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिफल रहित ठहराव भी वैध माने जाते हैं। इसका उल्लेख धारा 25 के अन्तर्गत किया गया है। अनुबन्ध की वैधता के लिए उसके उद्देश्य का वैधानिक होना आवश्यक होता है। अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं तथा उन्हें कानून प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। इसमें अन्य ठहरावों के अतिरिक्त विशेष रूप से लोकनीति के विरुद्ध घोषित किये गए ठहरावों को शामिल किया जाता है।

अनुबन्ध के लिए योग्य पक्षकारों से एक बालिग स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किये गए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति नाबालिग है अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क का है या कानून द्वारा अनुबन्ध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो इनके साथ किए गए अनुबन्ध परिस्थितियों के अनुसार व्यर्थ या व्यर्थनीय होते हैं। जैसे एक नाबालिग के साथ किया गया अनुबन्ध सामान्यतया व्यर्थ होता है परन्तु यदि यह अनुबन्ध उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए तो वह वैध होता है परन्तु वहाँ भी अवयस्क व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता अपितु उसकी सम्पत्ति में से उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार अनुबन्ध के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क वाले समझे जाने वाले व्यक्तियों में पागल, मूर्ख अथवा शराबी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है तथा उनके साथ किया गया अनुबन्ध सामान्यतया व्यर्थ समझा जाता है। कुछ लोग अपनी विशेष वैधानिक स्थिति के कारण अनुबन्ध के लिए अयोग्य समझे जाते हैं अथवा उनकी योग्यता पर कुछ सीमाएँ निर्धारित कर दी जाती हैं जिनके अन्तर्गत रहकर उन्हें अनुबन्ध करना होता है।

5. प्रस्तावित पुस्तकें (Suggested Readings) :

1. व्यापारिक सन्नियम – R.C. Chawla & K.C. Garg
2. व्यापारिक सन्नियम – Dr. N.D. Kapoor
3. व्यापारिक सन्नियम – Dr. Ashok Sharma
4. व्यापारिक सन्नियम – Dr. S.C. Aggrawal
5. Business Laws – Rohini Aggarwal

6. नमूने के लिए प्रश्न (Sample Questions) :

1. वैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य का क्या अर्थ है? इनके लक्षण क्या होते हैं तथा इनका अनुबन्ध की वैधता पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
2. 'प्रतिफल वही अनुबन्ध नहीं' इस कथन की व्याखा करें तथा उन अनुबन्धों का वर्णन करें जो बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं।
3. 'अनुबन्ध की योग्यता' का क्या अर्थ है? इसका वर्णन करें तथा इन अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किये गए अनुबन्धों की वैधानिक स्थिति का वर्णन करें।
4. एक अवयस्क के द्वारा किए गए अनुबन्धों की वैधानिक स्थिति की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें।

B.Com - II

Paper : BC-201 Business Laws ***Revised by*** **: Parveen Khurana**

Lesson No : 3

पद्यकारों को स्वतंत्र सहमति (Free Consent of Parties)

अध्याय की रूपरेखा (Index of the Chapter)

1. परिचय/प्रस्तावना (Introduction)
2. अध्याय के उद्देश्य (Objective of the Chapter)
3. विषय का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Contents)
   - 3.1 उत्पीड़न या बल प्रयोग
     - 3.1.1 उत्पीड़न का स्थान
     - 3.1.2 सिद्ध करने का भार
     - 3.1.3 उत्पीड़न से प्रभावित ठहराव का प्रभाव
   - 3.2 अनुचित प्रभ
     - 3.2.1 पर्दानशीन स्त्रियाँ
     - 3.2.2 सिद्ध करने का भार
     - 3.2.3 अनुचित प्रभाव का अन्त
     - 3.2.4 बल प्रयोग तथा अनुचित प्रभाव में अन्तर
   - 3.3 कपट
     - 3.3.1 कपट के लक्षण
     - 3.3.2 कपट के स्वरूप
     - 3.3.3 कपट के प्रभाव
   - 3.4 मिथ्यावर्णन
     - 3.4.1 मिथ्यावर्णन की विधियाँ
     - 3.4.2 मिथ्यावर्णन के प्रभाव
     - 3.4.3 कपट तथा मिथ्यावर्णन में अन्तर
   - 3.5 गलती
     - 3.5.1 गलतियों के प्रकार
     - 3.5.2 गलती के प्रभाव
4. सारांश
5. प्रस्तावित पुस्तकें
6. नमूने के लिए प्रश्न

1. परिचय/प्रस्तावना (Introduction)

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैध अनुबन्ध के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। यदि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र न हो तो इससे अनुबन्ध की वैधता प्रभावित होती है। अनुबन्ध परिस्थितियों के अनुसार व्यर्थ या व्यर्थनीय घोषित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत हम ऐसी कुछ परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, जिनके कारण पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती : जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, बजट मिथ्यावर्णन या गलती आदि। इन सब का अनुबन्धों पर पड़ने वाला प्रभाव भी यहाँ समझाया गया है।

2. अध्याय का उद्देश्य (Objectives of the Chapter)

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य पाठकों को स्वतंत्र सहमति की अवधारणा से परिचित करवाना है। इसके अध्ययन के पश्चात् पाठक यह जान पाएंगे कि सहमति क्या होती है? स्वतंत्र सहमति का क्या अर्थ है तथा इसके क्या आवश्यक लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त वह यह भी जान पाएंगे कि एक सहमति किन-किन परिस्थितियों में स्वतंत्र नहीं मानी जाती। यह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन या गलती जैसी अवधारणाओं के अर्थ, लक्षण, प्रकार तथा विशेष रूप से उनके अनुबन्ध की वैधानिकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ पाने में सफल होंगे। अत: अनुबन्ध की वैधता के लिए आवश्यक एक अन्य लक्षण 'स्वतंत्र सहमति' की विस्तृत जानकारी पाठकों को प्राप्त हो पाएगी।

3. विश्व का प्रस्तुतीकरण

स्वतन्त्र सहमति एक वैध अनुबन्ध का आवश्यक लक्षण है। इसके अभाव में एक अनुबन्ध का निर्माण नहीं हो सकता। अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार, "जब दो या दो से अधिक एक ही वस्तु या विषय पर एक ही भाव से सहमत होते हैं, तो उनको सहमत कहा जाता है।"

(Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense." Sec. 13 of Indian Contract Act 1872)

अत: जब एक पक्ष का भाव दूसरे से भिन्न होगा तो उनकी सहमति नहीं मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में रैफिल्स बनाम विचिल हौस (1864) के विवाद में एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से 125 गांठे रूई खरीदने का अनुबन्ध किया जिसे 'पियरलेस' नामक जहाज से बम्बई आना था। इस नाम के दो जहाज बम्बई आने वाले थे। एक पक्षकार का आशय उस जहाज से था जो अक्टूबर में आने वाला था जबकि दूसरे पक्षकार का आशय उस जहाज से था जो दिसम्बर मास में आने वाला था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि चूंकि दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं हैं। इसीलिए कोई वैध अनुबन्ध हुआ ही नहीं।

इसी प्रकार शरतचन्द्र बनाम कनाईलाल (1921) के विवाह में एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से मिथ्या वर्णन करके एक प्रलेख पर हस्ताक्षर कर लिए जबकि दूसरे पक्षकार ने केवल साक्षी के रूप में जानकारी हस्ताक्षर किए थे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी दशा में भी सहमति नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पक्षकार भिन्न-भिन्न भावों पर सहमत हुये थे। अत: अनुबन्ध वैध नहीं है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अनुसार, सहमति केवल उसी समय स्वतंत्र कही जा सकती है जबकि वह निम्नलिखित तत्त्वों में से किसी के कारण प्रदान नहीं की गई है।

1. उत्पीड़न या जबरदस्ती या बल प्रयोग (Coercion) (धारा 15)

2. अनुचित प्रभाव (Undue Influence) - (धारा 16)

3. कपट या धोखा (Frraud) - (धारा 17)

4. मिथ्या वर्णन या असत्य कथन (Mistrepresentation) - (धारा 18)

5. गलती (Mistake)- (धारा 20-22)

3.1 उत्पीड़न या बल प्रयोग (Coercion)- (धारा 15) उत्पीड़न से अभिप्राय किसी ऐसे कार्य को करने अथवा कराने की धमकी देने से है जो भारतीय दण्ड विधान द्वारा वर्णित है अथवा अवैध रूप से किसी व्यक्ति का स को रोके रखने अथवा रोकने की धमकी देना इस अभिप्राय से कि उस व्यक्ति को अनुबन्ध में प्रविष्ट कर लिया अर्थात् अनुबन्ध के लिए उससे सहमति प्राप्त कर ली जाये, उत्पीड़न कहलाता है।

("Coercion" is committing or threatening to commit any act forbidden by the India Pe Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property, to the prejudice of person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement.)

उत्पीड़न के लिए यह आवश्यक नहीं कि बल प्रयोग अनुबन्ध के किसी पक्षकार द्वारा ही किया जाये। में बल प्रयोग किसी के भी द्वारा तथा किसी के भी प्रति किया जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य ठहराव सम्बन्धित दूसरे पक्षकार का अनुबन्ध के लिए अपनी सहमति प्रदान करना होना चाहिए। बल प्रयोग को सिद्ध करने के लिए केवल यही सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा काम किया गया या करने की धमकी दी गई जो कि भारतीय दण्ड विधान द्वारा वर्जित है, अथवा किसी सम्पत्ति को अवैधानिक रूप से रोका गया अथवा रोकने की धमकी दी गई है और वचनदाता की सहमति इस आधार पर प्राप्त की गई है। बल प्रयोग में शारीरिक दण्ड तथा भय दोनों सम्मिलित हैं।

उदाहरण (1)**-** अ, ब से कहता है कि ठहराव पर हस्ताक्षर कर दो नहीं तो मैं तुम्हारे पुत्र का कत्ल कर दूँगा। ऐसी दशा में अ ने ब के प्रति उत्पीड़न का प्रयोग किया क्योंकि किसी को कत्ल करने की धमकी देना भारतीय दण्ड विधान द्वारा वर्जित है।

उदाहरण (2)**-** रंगनाथकम्पा बनाम - अल्वर सेट्टी (1990) के विवाद में एक तेरह साल की विधवा को बालक गोद लेने के लिए इस धमकी पर बाध्य किया गया कि उसके पति के मृतक शरीर को दाह-क्रिया के लिए नहीं ले जाने दिया जायेगा। विधवा ने लड़के को गोद ले लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहाँ पर सहमति बल-प्रयोग द्वारा ली गई है क्योंकि किसी मृतक शरीर को जलाने के लिए ले जाने से रोकना भारतीय दण्ड विधान की धारा 296 के अनुसार अपराध है।

3.1.1 उत्पीड़न का स्थान (Place of Coercion) – उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है, भारतीय दण्ड विधान का प्रचलित होना अथवा न होना महत्वहीन है। किसी भी स्थान पर प्रयोग किया गया कार्य मान्य है **:** उदाहरण समुद्री मार्ग से इंग्लैण्ड के जहाज पर ब की एक ठहराव करने के लिए ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दण्ड विधान द्वारा वर्जित है - विवश करता है। इसके बाद अ, ब के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करता है। यहाँ ब ने उत्पीड़न का प्रयोग किया है, यद्यपि अंग्रेजी विधान के अनुसार यह अपराध नहीं है। पर उस समय, उस स्थान पर जहाँ यह कार्य किया गया था भारतीय दण्ड विधान

भी प्रचलित नहीं था। धारा 19 के अनुसार उत्पीड़न समय अनुबन्ध उस पक्ष की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है जिसकी सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई हो।

इंग्लैण्ड में उत्पीड़न (Duress) या (Mechance) कहते हैं। परन्तु Duress का प्रयोग केवल अनुबन्ध के पक्ष के विरूद्ध या निकट के सम्बन्धी के प्रति ही हो सकता है और सम्पत्ति के विरुद्ध नहीं हो सकता।

3.1.2 सिद्ध करने का भार (Burden of Proof) : यह किसी ठहराव के अन्तर्गत सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई है यह सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार पर होता है।

3.1.3 उत्पीड़न से प्रभावित ठहराव का प्रभाव (Effect of Coercion) : उत्पीड़न से प्रेरित ठहराव भी पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। दूसरे शब्दों में जिस पक्षकार की सहमति इस प्रकार ली गई है, वह चाहे तो अनुबन्ध को निरस्त कर सकता है अथवा वह उसका पालन करा सकता है। धारा 72 के अनुसार उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई वस्तु या मुद्रा वापस देनी होगी।

3.2 अनुचित प्रभाव (Undue Influence) (धारा 16)

'एक अनुबन्ध अनुचित प्रभाव से प्रेरित हुआ कहा जाता है, जहाँ पक्षकारों के मध्य इस तरह सम्बन्ध है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और अनुचित लाभ पाने के लिए वह दूसरे पक्षकार पर उस स्थिति को प्रयोग में लाता है।'

(A Contract is said to be induced by 'Undue influence' where the relations between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other.)

धारा 16(2) के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है -

(अ) जहाँ एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा स्पष्ट सत्ता रखता हो जिससे वह दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमा सके। जैसे गुरू तथा शिष्य, पिता-पुत्र, जमींदार-कृषक, संरक्षक एवं रक्षित, धर्मगुरू तथा चेला आदि।

(ब) जहाँ पक्षकारों के मध्य विश्वासाश्रित सम्बन्ध हों जैसे वकील एवं मुवक्किल।

(स) जहाँ एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से अनुबन्ध करे जिसकी मानसिक योग्यता स्थायी अथवा अस्थायी रूप से आयु, रूग्णता या मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के कारण प्रभावित है जैसे डॉक्टर एवं रोगी।

(द) अ ने अपने लड़के ब को जबकि वह अव्यस्क था कुछ रूपया दिया। जब ब वयस्क हो गया तो अ ने अपने पिता होने के नाते ब को दी गई रकम से अधिक एक बॉण्ड लिखने को कहा। यहाँ अ ने ब पर अनुचित प्रभाव किया है।

(ई) अ एक डॉक्टर है जोकि एक वृद्ध मरीज को अनुचित प्रभाव द्वारा अधिक फीस के लिए प्रेरित करता है। यहाँ अ ने अपने मरीज पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना है।

(फ) अ एक ग्रामीण ऋणदाता है, अपने ऋणी ब को एक 'नया ऋण' ऐसी शर्तों पर देने का वायदा करता है जो कि अनुचित प्रतीत होती है। यहाँ अ, ब पर अनुचित प्रभाव का उपयोग करता है और इस बात को सिद्ध करने का दायित्व कि अ अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं कर रहा था, ब पर ही है।

(च) अ एक गाँव का जमींदार है और ब उसी गाँव का एक गरीब किसान है। ब के पास एक अच्छा बैल है जिसका वास्तविक मूल्य 500 रु. है। अ अपने अधिकार द्वारा ब से 50 रु. में बैल खरीदने का अनुबन्ध करता है। अ अपना अनुचित प्रभाव प्रयोग में लाता है।

3.2.1 पर्दानशीन स्त्रियाँ (Pardanashin Women) – वह स्त्री जो अपने पर्दा प्रथा के कारण संसार से अलग पर्दे में रहती हैं, पर्दानशीन स्त्री कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियाँ प्राय: पर्दे में रहती है। अन्य व्यक्तियों के सामने नहीं आती हैं। इसलिए इन स्त्रियों को संसार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अधिनियम ने इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष रक्षा प्रदान की है। अधिनियम ने पर्दानशीन स्त्रियों को उन श्रेणी के व्यक्तियों में शामिल किया गया है जिन पर अनुचित प्रभाव आसानी से डाला जा सकता है। अत: जब भी इस श्रेणी की स्त्रियों के साथ अनुबन्ध किया जाता है तो केवल इतना ही पर्याप्त न होगा कि उन्हें उस अनुबन्ध की शर्तें बता दी गई हैं, वरन् यह भी सिद्ध करना होगा कि उसने अनुबन्ध की शर्तो को समझ लिया है। साथ यह भी समझ लिया है कि अनुबन्ध का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुबन्ध में स्वतंत्र सहमति थी एवं व्यवहार उचित था।

एक स्त्री जो अपने आपको पर्दानशीन कहती है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह पूर्ण पर्दानशीन है। आधे परदे में रहने वाली स्त्री को पर्दानशीन स्त्री नहीं कहलायेगी। उदाहरणत: एक स्त्री हमेशा मुँह पर पर्दा रखती है, पर्दे के पीछे बैठती है परन्तु अपने व्यवहार स्वयं करती है, न्यायालय जाती है, किरायेदार से किराया वसूल करती है, अन्य व्यक्तियों से व्यक्तिगत पत्र व्यवहार करती है, अधिनियम के अनुसार वह पर्दानशीन स्त्री नहीं है।

5.2.2 सिद्ध करने का भार (Burden of Proof) : जब पक्षकारों के मध्य सम्बन्ध इस प्रकार के हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने की स्थिति में है और व्यवहार भी अनुचित दिखाई देता है तो यह सिद्ध करने का भार कि अनुबन्ध प्रभाव से प्रेरित नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जो दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है।

3.2.3 अनुचित प्रभाव का अन्त (Effect of Undue Influence) – अनुबन्ध अधिनियम की धारा 19(A) के अनुसार अनुचित प्रभाव के निम्न प्रभाव होंगे -

(i) वह अनुबन्ध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा।

(ii) यह अनुबन्ध की सहमति अनुचित प्रभाव द्वारा ली गई है और पीड़ित पक्षकार ने उस अनुबन्ध के परिणामस्वरूप कुछ लाभ प्राप्त किया है तो ऐसी दशा में अनुबन्ध उन शर्तों पर निरस्त होगा जो न्यायालय की दृष्टि में उचित होगा।

3.2.4 बल प्रयोग और अनुचित प्रभाव में अन्तर (Coercion vs. Undue Influence)

अंतर का आधार (Basis)	बल प्रयोग (Coercion)	अनुचित प्रभाव (Undue Influence)
1. धाराएँ	इसमें धारा 15 लागू होती है।	इसमें धारा 16 लागू होती है।
2. प्रयोग का ढंग	इस प्रयोग में शारीरिक बल की धमकी	अनुचित प्रभाव में नैतिक दबाव द्वारा सहमति ली जाती है।
3. सहमति	बल प्रयोग में सहमति देने का अधिकार ही नष्ट कर दिया जाता है।	अनुचित प्रभाव में सहमति अनुचित प्रकार से प्रेरित की जाती है।
4. पक्षकार	बल प्रयोग प्रस्तावक द्वारा किसी भी सम्पत्ति या व्यक्ति के ऊपर वचनगृहीता की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है।	अनुचित प्रभाव ठहराव के पक्षकारों के बीच ही होता है।
5. सम्बन्ध	बल प्रयोग में कोई निश्चित सम्बन्धी होना आवश्यक नहीं होता।	अनुचित प्रभाव में विश्वासाश्रित सम्बन्ध होना आवश्यक है।
6. व्यर्थनीय एवं रद्द	बल प्रयोग अनुबन्ध प्रस्तावक की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है।	इसमें भी अनुबन्ध पूर्ण रूप से पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। किन्तु न्यायालय द्वारा उचित शर्तों पर रद्द भी किया जा सकता है।

समानता– उपर्युक्त अंतर के होते हुये भी इन दोनों में यह समानता है कि दोनों ही के प्रयोग से अनुबन्ध उस पक्ष की इच्छा पर व्यर्थनीय हो जाता है जिस पर कि उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया हो।

3.3 कपट या धोखा (Fraud) - (धारा 17)

जब अनुबन्ध का एक पक्षकार या उसके प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार को या उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के उद्देश्य से या उसको अनुबन्ध के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित कार्यों में कोई कार्य करता है तो यह कहा जाएगा कि उसने कपट किया है।

1. उस व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी बात का सुझाव देना जो कि सच नहीं है और जिसे सच होने का विश्वास भी नहीं है।
2. किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी बात का छुपाव करना जिसे वास्तव में उसका ज्ञान या विश्वास था।
3. पूरा न करने के अभिप्राय से दिया गया वचन।
4. कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरे पक्षकार को धोखा देने के अभिप्राय से किया जाए।
5. कोई भी ऐसा कार्य या भूल जिसे राजनियम ने स्पष्ट रूप से कपट माना है।
6. उपर्युक्त के अलावा कभी-कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है।

3.3.1 कपट के लक्षण (Elements of Fraud)

1. कपट पक्षाकार द्वारा या उसके एजेन्ट के द्वारा किया जा सकता है (Fraudulent work by one party or his agent) – कपट करने वाला (क) अनुबन्ध का एक पक्षकार या (ख) उसका प्रतिनिधि ही होना चाहिए। यदि तृतीय पक्षकार जो अनुबन्ध से सम्बन्ध नहीं रखता है, के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वह कपट नहीं कहलायेगा।

2. **धोखा देने का अभिज्ञान (Object of Deceiving the Party)** – यदि एक पक्षकार ने कोई बात किसी दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से बताई है। तभी वह कपट माना जाएगा। इसके विपरीत यदि बात धोखा देने के उद्देश्य से नहीं बताई गई है तो वह कपट न होगा। उदाहरणत: क–पशु चिकित्सक ने एक अस्वस्थ घोड़े के स्वस्थ होने का झूठा प्रमाण पत्र बनवाकर अस्तबल के प्रवेश द्वार पर लगवा दिया। ख ने प्रमाण पत्र पर विश्वास करके घोड़ा खरीद लिया। यह विक्रेता द्वारा कपट माना गया। यदि ख प्रमाण पत्र पड़े बिना ही घोड़ा खरीद लेता तो कपट के आधार पर अनुबन्ध रद्द नहीं किया जा सकता था।

3. **धोखा अनुबन्ध के पक्षकार या उसके एजेन्ट के विरूद्ध किया जाना चाहिए (Fraud Must be Against the Party or his Agent)** – यह आवश्यक नहीं है कि कपट अनुबन्ध के पक्षकार के साथ ही किया गया हो। केवल आवश्यक यही है कि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को अनुबन्ध के लिए प्रेरित करना हो।

4. **पालन न करने अभिप्राय से दिया गया वचन (Promise, which was given not to fulfill it)** – जब किसी अनुबन्ध का एक पक्षकार पूरा न करने के विचार से किन्तु दूसरे पक्षकार को अनुबन्ध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कोई वचन देता है, तो वह कपट कहलाता है।

5. **कानून द्वारा विशेष रूप से कपटमय घोषित (Specially Declared as Fraudulent by Law)** – कोई भी ऐसा कार्य या भूल जिसे विधान ने विशेष रूप से कपटमय घोषित किया है, कपट है। उदाहरण के लिये (सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882) के अन्तर्गत लेनदारी से धोखा देने के उद्देश्य से अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण कपटमय है।

6. **दूसरे पक्षकार को कपट के कारण हानि होना भी आवश्यक है (The Other Party must Suffer Damage due to Fraud)** – असत्य कथन के कारण दूसरे पक्षकार को क्षति होना भी आवश्यक है, क्योंकि क्षति के बिना कपट के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

5.3.2 कपट के स्वरूप (Kinds of Fraud)

1. सुझाव या प्रदर्शन द्वारा कपट (Fraud by Suggestion)
2. सक्रिय छिपाव द्वारा कपट (Fraud by Active Concealment)
3. मौन द्वारा कपट (Fraud by Silence)

सुझाव या प्रदर्शन द्वारा कपट (Fraud by Suggestion) – जब अनुबन्ध का कोई पक्षकार किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताकर प्रदर्शित करता है तो यह असत्य बात दूसरे पक्षकार को अनुबन्ध के लिए प्रेरित करती है। तो यह कपट प्रदर्शन द्वारा कपट कहलायेगा।

काला मीह बनाम पारम्परिक के विवाद के मामले में नीलाम कराने वाले व्यक्ति द्वारा बिक्री वाले सम्पत्ति विषय में झूठी बातों को न्यायालय ने सुझाव द्वारा कपट घोषित किया है।

एक कम्पनी के संचालकों ने ऋण–पत्र निर्गमन करने के लिए प्रविवरण प्रकाशित किया जिसमें ऋण–पत्र निर्गमन का उद्देश्य भवन को पूरा करवाना तथा घोड़े व गाड़ियों का क्रय करना बताया गया था जबकि वास्तविक उद्देश्य लेनदारों का भुगतान करना था। यहाँ सत्यवात के असत्य प्रदर्शन द्वारा कपट माना गया।

सुझाव अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी महत्त्वपूर्ण बात के विषय में होना चाहिए। क्योंकि किसी वस्तु की ... में साधारणतया कोई बात कहना या अपनी राय देना कपट नहीं होता। उदाहरणतः कोई पैन बेचने वाला यह कि मेरे विचार में यह पेन 25 रूपये का है, यह कपट नहीं होगा। लेकिन यदि यह कहे कि मैंने स्वयं यह 25 रूपये में खरीदा है और यह बात झूठी हो तो इसे कपट कहेंगे।

2. सक्रिय छिपाव द्वारा कपट (Fraud by Active Concealment) – जब कोई पक्षकार अनुसम्बन्धी ऐसी महत्त्वपूर्ण बातों को जान–बूझकर छिपाता है जिनको प्रकट करना उसका कर्त्तव्य है तो वह छिपाव कपट माना जायेगा। किन्तु ऐसी बातों को छिपाना कपट नहीं हो सकता जिन्हें बताना उस पक्षकार का वैधानिक दायित्व नहीं है।

निम्नलिखित प्रकार के अनुबन्धों के लिए पक्षकार का दायित्व होता है कि वह दूसरे पक्षकार को अनुबन्ध सम्बन्ध में सब महत्त्वपूर्ण बातों को प्रकट कर दे।

(क) जहाँ महत्वपूर्ण बातों को प्रकट करना वैधानिक दायित्व है (Where Statuts Obligation to Disclose)– कुछ वैधानिक नियम, जिनके अनुसार अनुबन्ध करने वाले पक्षकारों का यह दायित्व होता है कि वे अनुबन्ध से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यों को दूसरे पक्षकारों को बता दें, जैसे भारतीय कम्पनी अधिनियम तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत अनेक प्रावधान इस प्रकार के हैं, जिनमें वस्तुस्थिति को स्पष्ट व पक्षकारों का वैधानिक दायित्व ठहराया गया है।

(ख) सद्भावना वाले अनुबन्ध (Uberimae-Fidel Contracts) – इस प्रकार के अनुबन्धों 'अत्यधिक विश्वास वाले' या 'परम विश्वास के' अनुबन्ध भी कहते हैं। सद्भावना वाले अनुबन्ध उनको कहते हैं जिनमें एक पक्षकार को अनुबन्ध के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के कुछ साधन प्राप्त होते हैं तो दूसरे पक्ष को नहीं होते। अतः उस पक्षकार का वह कर्त्तव्य होता है कि वह दूसरे पक्षकार को उन सभी बातों को बताते हैं जिनकी विशेष जानकारी उसे है और जो दूसरे पक्षकार के अनुबन्ध करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। निम्नलिखित अनुबन्ध सद्भावना वाले अनुबन्ध कहलाते हैं।

1. **पारिवारिक निपटारे (Family Settlements)**– पारिवारिक झगड़ों का निपटारा करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य का वैधानिक कर्त्तव्य है कि वह सभी महत्त्वपूर्ण बातों को बता दें अन्यथा बाद में अनुबन्ध व के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

2. **विवाह के अनुबन्ध (Contracts of Marriage)**– इस प्रकार के अनुबन्ध में प्रत्येक पक्ष का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि वह दूसरे पक्षकार की उन सभी तथ्यों को जानकारी दे जो विवाह की इच्छा प्रभावित कर सकते हैं।

3. **साझेदारी के अनुबन्ध (Partnership Contracts)**– प्रत्येक सांझेदार का यह कर्त्तव्य है कि जो तथ्य ज्ञान है अपनी फर्म के सांझेदारों को प्रकट करना चाहिए जिनकी जानकारी उन्हें नहीं है।

4. **गारंटी के अनुबन्ध (Contracts of Guarantee)** – ऐसे अनुबन्धों में यदि कोई पक्ष किसी की गारंटी मांगता है तो उसे (गारंटी मांगने वाले को) उस पक्ष के बारे में जिसके लिए यह गारंटी मांग रहा है, गारंटी देने वाले को सब बातें बता देनी चाहिए।

5. ऐसे व्यक्ति के बीच अनुबन्ध जो एक दूसरे के प्रति विश्वास करते हों – जैसे पिता और पुत्र, गुरू और शिष्य, डॉक्टर और मरीज, वकील और मुवक्किल आदि।

6. **भूमि-विक्रय सम्बन्धी अनुबन्ध (Contract for sale of Land)** – भूमि के विक्रेता का भी यह कर्त्तव्य है कि वह भूमि तथा भूमि से सम्बन्धित अपने अधिकार में यदि कोई भी दोष हो तो उसे क्रेता को बता दे, जिसका ज्ञान विक्रेता को है लेकिन क्रेता को नहीं।

7. **कम्पनी के अंश खरीदने से सम्बन्धित अनुबन्ध (Contract for Purchase Shares of a Company)**– जब कोई कम्पनी जनता के लिए अपना प्रविवरण प्रकाशित करती है तो संचालकों का यह कर्त्तव्य है कि उसमें विनियोग सम्बन्धी ऐसी सभी बातें प्रकट कर दें जो अंश खरीदने वाले के निर्णय पर प्रभाव डाल सकती हैं।

3. मौन के द्वारा कपट (Fraud by Silence) – सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं है। भले ही उससे किसी व्यक्ति की इच्छा पर प्रभाव पड़े। किन्तु इसके दो अपवाद हैं और इन दो परिस्थितियों में मौन रहना कपट समझा जाता है।

(क) यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मौन रहने वाले व्यक्ति को बोलना वैधानिक कर्त्तव्य हो तो उसका मौन रहना कपट माना जाएगा।

(ख) जब मौन रहना बोलने के समान हो। अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा करता है कि वह सक्रिय मिथ्यावर्णन से दूर रहे।

इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि एक पक्षकार को जिन तथ्यों की जानकारी हो उसे दूसरे पक्षकार को दे।

उदाहरणतः

(1) एक अवयस्क का अपनी आवश्यकता छिपाकर ऋण देना कपट नहीं है क्योंकि आवश्यकता की जानकारी देना अवयस्क के लिए वैधानिक कर्त्तव्य नहीं है।

(2) ब, अ से कहता है – 'यदि आप इसके विरुद्ध कुछ न कहेंगे तो मैं समझूंगा कि घोड़ा स्वस्थ है।' अ चुप रहता है। अ का मौन रहना बोलने के समान है।

(3) Keats Vs. Cedogan के मामले में यह निर्णय किया जा चुका है कि मकान मालिक के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह मकान किराये पर देने से पहले किरायेदार को यह बताये कि मकान टूटी–फूटी अवस्था में है।

3.3.3 कपट का प्रभाव (Effect of Fraud) – जब किसी अनुबन्ध में सहमति 'कपट' द्वारा प्राप्त की गई हो, तो उस व्यक्ति को, जिसे धोखा दिया गया हो, प्राप्त उपचारों का वर्णन धारा 19 में किया गया है, जो निम्न है-

1. **पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय (Voidable at the Option of Aggrieved Party)**– पीड़ित पक्षकार अनुबन्ध को अपनी इच्छानुसार रद्द कर सकता है। लेकिन जब उसकी सहमति कपटमय मौन द्वारा ली गई हो तो वह अनुबन्ध को रद्द नहीं कर सकता। अगर साधारण उद्योग से ही वह सत्य बात का पता लगा सकता है अथवा सत्य बात को पता लगाने के साधन उसे प्राप्त थे।

2. **अनुबन्ध की पुष्टि करने के लिए अधिकार (Affirmation)**– वह अनुबन्ध की पुष्टि कर सकता है और दूसरे पक्षकार इसकी शर्तो की पूर्ति के लिए अथवा शर्तो की पूर्ति न होने के कारण यदि कोई हानि हुई तो उसकी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वह वाद प्रस्तुत कर सकता है।

3. **पुनः स्थापना (Restitution)** – पीड़ित पक्षकार अनुबन्ध रद्द करने की दशा में पुन: स्थापना कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई धन अथवा सम्पत्ति उसने दूसरे पक्षकार को दी है, तो उसे वापस पाने का अधिकार उसे होगा।

उदाहरणतः – (क) राम कपटमय इच्छा से श्याम को सूचित करता है कि उसकी सम्पत्ति भार या कर्ज से मुक्त है और इस कथन के आधार पर श्याम सम्पत्ति खरीद लेता है। वास्तव में, सम्पत्ति बन्धक के रूप में रखी गई है। 'श्याम' यदि चाहे तो अनुबन्ध को रद्द कर सकता है या 'राम' द्वारा उसको पूरा करने तथा बंधक के ऋण के भुगतान के लिए जोर दे सकता है।

(ख) न, प को धोखा देने के उद्देय से यह बताता है कि उसके कारखाने में 400 मन नील हर साल बनाया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप वह प को कारखाना खरीदने के लिए उकसाता है। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध की इच्छा पर व्यर्थ होगा।

3.4 मिथ्यावर्णन या असत्य कथन (Misrepresentation) (धारा 18)

'मिथ्यावर्णन' शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है - पहला, ऐसा मिथ्यावर्णन जो जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया जाए, कपटमय मिथ्यावर्णन कहलाता है एवं दूसरा वह मिथ्यावर्णन है जो अज्ञानतावश किया जाए। ऐसा करने वाला व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। चूंकि उससे यह अज्ञानतावश होता है। अत: इसे निर्दोष मिथ्यावर्णन के नाम से जाना जाता है।

उदाहरण के लिये राम, मोहन से पूछता है कि क्या सोना है, मोहन बिना देखे हाँ कह देता है, जबकि वास्तव में वह सोना नहीं होता। यह भी मिथ्यावर्णन है।

3.4.1 मिथ्यावर्णन की विधियाँ (Mode of Misrepresentation)

1. निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्यावर्णन (Misrepresentation by Positive Statement) : किसी ऐसी बात का निश्चयात्मक कथन जो सत्य नहीं है फिर भी कहने वाला उसके साथ होने का विश्वास रखता है मिथ्यावर्णन है। एक मामले में A से B को यह विवरण दिया कि तुरन्त स्थापित होने

वाले कम्पनी में C संचालक होगा। न्यायालय ने इस कथन को मिथ्यावर्णन माना, परन्तु निश्चयात्मक कथन केवल उसी दशा में मिथ्यावर्णन माना जाएगा जब कहने वाले के पास इस पर विश्वास करने का कोई उचित आधार न हो। उचित आधार के होने पर यही मिथ्यावर्णन न होकर पारस्परिक गलती होगी। (धारा 18)

2. कर्त्तव्यभंग द्वारा मिथ्यावर्णन (Misrepresentation by Breach of duty) : कपट के अभिप्राय के बिना यदि कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता व परिणामस्वरूप अन्य पक्षकार को तो हानि हो जाती है परन्तु उसे स्वयं लाभ हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बीमा कराने वाला अपनी उम्र 25 वर्ष पूर्ण विश्वास के साथ बताता है। जबकि वास्तव में वह 27 वर्ष का है और जिसे वह स्वयं नहीं जानता था तो ऐसी दशा में कर्त्तव्यभंग मिथ्यावर्णन है जो धोखा देने के विचार से नहीं किया गया है। (धारा 18(2))

3. अज्ञानवश मिथ्यावर्णन के कारण गलती (Causing Mistake by Innocent Misrepresentation) : अज्ञानवश मिथ्यावर्णन द्वारा ठहराव से सम्बन्धित पक्षकार से ऐसी वस्तु के सारांश के सम्बन्ध में जो ठहराव की विषय सामग्री है, गलत करा देना मिथ्यावर्णन है। यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को अनुबन्ध के विषय के सम्बन्ध में गलती के लिए प्रेरणा दी है। चाहे वह अज्ञानतावश ही क्यों न हो, दूसरे पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। उदाहरण के लिए A अपना मकान B को बेचता है। बाद में B को पता चलता है कि नींव में दरार है तो ऐसी दशा में B अनुबन्ध की विषय सामग्री के मिथ्यावर्णन के आधार पर अनुबन्ध को रद्द कर सकता है। इसके विपरीत यदि मकान का रोशनदान टूटा हुआ होता तो वह अनुबन्ध की विषय सामग्री को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती।

3.4.2 मिथ्यावर्णन का प्रभाव (Effect of Misrepresentation)

मिथ्यावर्णन की दशा में अनुबन्ध से पीड़ित पक्षकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :

1. अनुबन्ध को रद्द करने का अधिकार (Rights to repudiate the contracts) : मिथ्यावर्णन की दशा में अनुबन्ध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। उदाहरणत: अ मिथ्यावर्णन द्वारा ब को गलती से यह विश्वास दिला देता है कि अ के कारखाने में हर वर्ष 500 मन नील ही तैयार होता है। कारखाने के हिसाब की जांच करके ब यह मालूम करता है कि केवल हर वर्ष 400 मन नील ही तैयार होता है। इसके बाद ब कारखाना खरीद लेता है। अ के मिथ्यावर्णन से अनुबन्ध व्यर्थनीय नहीं होगा क्योंकि ब साधारण उद्यम से सच्चाई का पता लगा सकता था।

2. **अनुबन्ध की अभिपुष्टि (Affirmation)**– यदि ऐसा करना वह उचित समझे तो वह अनुबन्ध की सभी शर्तो को पूरा करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। (धारा 19)।

3. **पुनः स्थापना (Restitution)**– वह अनुबन्ध की पुन: स्थापना की मांग कर सकता है लेकिन क्षतिपूर्ति कराने को अधिकार उसे नहीं है। वह अनुबन्ध के अधीन दी हुई सम्पत्ति या धन पाने का अधिकारी है। (धारा 19)।

3.4.3 कपट एवं मिथ्यावर्णन में अन्तर (Fraud Vs. Mispresentation)

अन्तर का आधार (Basis)	कपट (Fraud)	मिथ्यावर्णन (Misrepresentation)
1. धाराएँ	इसका वर्णन धारा 17 में किया गया है।	इसका वर्णन धारा 18 में किया गया है।
2. प्रकृति	कपट जानबूझकर किया गया है।	मिथ्यावर्णन अज्ञानवश किया जाता है।
3. उद्देश्य	कपट का उद्देश्य धोखा देना होता है।	मिथ्यावर्णन का उद्देश्य धोखा देना नहीं होता।
4. जाँच का साधन	मौन द्वारा कपट के अतिरिक्त किसी भी कपट की दशा में दोषी पक्षकार यह नहीं कह सकता कि दूसरे पक्षकार को सत्य बात का पता लगाने के साधन उपलब्ध थे अथवा वह साधारण प्रयास से सत्य बात का पता लगा सकता था।	मिथ्यावर्णन की दशा में दोषी पक्षकार यह कह सकता है कि दूसरे पक्षकार को सत्य बात पता लगाने के साधन उपलब्ध थे अथवा वह साधारण प्रयास से सत्य का पता लगा सकता था।
5. वैधता	कपट द्वारा प्रेरित अनुबन्ध सदा व्यर्थ होता है।	इसमें यदि दोषी पक्षकार उचित समय में कोई कार्यवाही नहीं करता तो अनुबन्ध वैध हो जाता है।
6. साधन	इसमें धोखा देने वाला पक्ष यह नहीं कह सकता कि पीड़ित पक्षकार के पक्ष सत्य खोजने के साधन मौजूद थे।	इसमें असत्य कथन करने वाला यह कह सकता था।

3.5 गलती (Mistake) (धारा 20-22)

ऐसा वैध अनुबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति की सहमति उसी समय कही जाती है जब वे सब किसी एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। परन्तु कभी-कभी अनुबन्ध के आवश्यक तथ्य के आधार पर ये व्यक्ति गलती कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि सहमति गलती से प्रभावित है।

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, 'जब ठहराव के दोनों पक्षकार के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर है तो ऐसी हालत में सहमति स्वतन्त्र नहीं कही जा सकती और ठहराव होगा।'

"Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essen to the agreement, the agreement to void." (I.C. Act Sec. 20 Indian Contract Act)

3.5.1 गलतियों के प्रकार (Types of Mistakes) – यह दो प्रकार की होती है।

1. कानून सम्बन्धी गलती (Mistake of Law)
2. तथ्य सम्बन्धी गलती (Mistake of Fact)

1. कानून सम्बन्धी गलती (Mistake of Law) – यह भी दो प्रकार की है।

(i) भारत में प्रचलित कानून सम्बन्धी गलती।

(ii) विदेशी कानून सम्बन्धी गलती।

(i) भारत में प्रचलित कानून सम्बन्धी गलती – इस सम्बन्ध में कुछ बातें याद रखने योग्य हैं।

(अ) प्रत्येक भारतवासी से यह आशा की जाती है कि वह भारत में कानून से अच्छी प्रकार से परिचित होगा।

(ब) यदि भारतीय, भारत में रहकर कानून सम्बन्धी गलती करे तो क्षमा नहीं किया जाएगा। (Ignorance of L is not excuse.)

(स) अनुबन्ध अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, 'यदि गलती भारत में प्रचलित अधिनियम के सम्बन्ध में हुई तो गलती करने वाला क्षमा नहीं किया जाएगा।'

(द) निष्कर्षत: यदि दोनों पक्षकार ऐसे कानून के सम्बन्ध में गलती करते हैं जो कि भारत में प्रचलित हैं, तो अनुबन्ध व्यर्थ नहीं बल्कि वैध होगा।

(ii) विदेशी कानून सम्बन्धी गलती – प्रत्येक भारतवासी से यह आशा नहीं की जाती कि वह विदेशी कानून को जाने, ऐसे नियम के सम्बन्ध में गलती करने पर न्यायालय उसको क्षमा कर सकती है।

उदाहरण – अ और ब एक अनुबन्ध करते हैं जो फ्रांस में विपत्र सम्बन्धी नियम के विषय में एक ही विश्वास पर आधारित है। यह अनुबन्ध व्यर्थ होगा क्योंकि प्रत्येक भारतीय से यह आशा नहीं की जाती कि विदेशी कानून समझे।

2. तथ्य सम्बन्धी गलती (Mistake of Fact) – जब किसी ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव (अनुबन्ध) किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती पर है, तो ठहराव व्यर्थ होता है। किन्तु किसी ऐसी वस्तु के मूल्य सम्बन्ध में गलत विचार देना जो कि अनुबन्ध की विषय-वस्तु है, तथ्य सम्बन्धी गलती नहीं मानी जाती। (धारा)

लक्षण– इस आधार पर अनुबन्ध व्यर्थ मानने के लिये निम्न बातों का होना आवश्यक है।

(i) तथ्य सम्बन्धी गलती अनुभव के दोनों पक्षकारों द्वारा होनी चाहिए - तथ्य सम्बन्धी गलती आधार पर अनुबन्ध को व्यर्थ घोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि गलती दोनों पक्षकारों द्वारा कोई भी अनुबन्ध केवल इसलिए व्यर्थ नहीं हो सकता कि एक ही पक्षकार तथ्य के सम्बन्धी गलती पर (धारा)

उदाहरण– हेमसिंह बनाम भागवत (1925) के विवाद में एक अंधे को किसी बाण्ड पर यह कहकर हस्त करने के लिए प्रेरित किया कि वह बाण्ड उसके लिए लाभदायक है, किन्तु वास्तव में उसके लिए हानिकार था। सभी अशिक्षित अथवा नाबालिग व्यक्तियों द्वारा उनकी एक पक्षीय गलती के आधार पर अनुबन्ध अवैधानिक हो सकता है।

(ii) गलती ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के सम्बन्ध में होनी चाहिए - जब गलती ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य के सम्बन्ध में नहीं होती तो अनुबन्ध व्यर्थ नहीं हो सकता। केवल भ्रम अनुबन्ध के लिए महत्त्वपूर्ण होते हुये भी अनुबन्ध के सार तत्व को प्रभावित नहीं कर सकता।

टिप्पणी – यदि एक ही पक्षकार तथ्य सम्बन्धी गलती करता है तो ऐसी गलती एक पक्षीय गलती कहलाती है और ऐसी दशा में अनुबन्ध व्यर्थनीय नहीं होता। इसके विपरीत गलती होने पर ठहराव व्यर्थ होता है। परन्तु तथ्य सम्बन्धी गलती के आधार पर दिया गया धन वापिस लिया जा सकता है।

द्विपक्षीय गलती – अनुबन्ध के विषय-वस्तु के बारे में (As to Subject Matter) – जब दोनों पक्ष विषय-वस्तु के बारे में गलती पर हो अर्थात् एक पक्ष वस्तु को कुछ और समझ रहा है और दूसरा पक्ष और कुछ समझ रहा है तो ऐसी दशा में ठहराव व्यर्थ होगा।

उदाहरण– यदि बम्बई से पीयसलैस नाम के दो जहाज इंग्लैण्ड जाते हैं और क्रेता उनमें से एक जहाज का माल खरीदना चाहता है जबकि विक्रेता दूसरे जहाज का माल बेचना चाहता है तो यह ठहराव व्यर्थ होगा।

विषय वस्तु सम्बन्धी गलती कई प्रकार की हो सकती है, जो निम्न है -

(अ) विद्यमानता के सम्बन्ध में गलती (Mistake Regarding Existence) – यदि अनुबन्ध करते समय विषय-वस्तु का अस्तित्व ही न हो तो अनुबन्ध व्यर्थ होगा। उदाहरण के लिए, यदि ऐसे जहाज में लदे हुए माल के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया गया जो समुद्र मार्ग में समझा गया, परन्तु दोनों पक्षकार की जानकारी से बाहर वह पहले ही नष्ट हो चुका था। ऐसी दशा में अनुबन्ध व्यर्थ होगा।

(ब) विषय-वस्तु की पहचान के बारे में गलती (Mistake Regarding Identity of Subject Matter) – जहाँ दोनों पक्षकार विषय वस्तु के बारे में एक मत नहीं है अर्थात् एक पक्षकार को दूसरी वस्तु समझ रहा है और दूसरा पक्षकार कोई वस्तु समझ रहा है तो अनुबन्ध व्यर्थ होगा।

(स) विषय-वस्तु के अधिकार के सम्बन्ध में (Mistake Regarding Title to Subject Matter)– जब पक्षकारों को ऐसा विश्वास है कि विक्रेता को उस वस्तु की स्वायतत्ता प्राप्त है जिसे वह बेचना चाहता है, जबकि वास्तव में उसे वस्तु को कोई स्वत्व नहीं था।

उदाहरण– रानी कुंवर बनाम महबूब के बाद में विकास ने कंवल से एक भूमि क्रय की और उस पर मकान बनवा लिया। बाद में ज्ञात हुआ कि कंवल उस भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं था और न ही उसे जमीन बेचने का अधिकार था उस जमीन का स्वत्व एक तृतीय व्यक्ति पंकज का था। विकास तथा कंवल ने अनुबन्ध पूर्ण सद्भावना से किया था और दोनों ही गलती पर थे। अतः अनुबन्ध व्यर्थ घोषित किया गया।

(द) विषय-वस्तु के मूल्य के बारे में गलती (Mistake regarding price of subject matter) – कभी-कभी विषय-वस्तु की कीमत के सम्बन्ध में वास्तविक गलती हो जाती है। ऐसी दशा में भी अनुबन्ध व्यर्थ होगा। उदाहरण– जहाँ विक्रेता सम्पत्ति की सहमत कीमत 3596 रूपये लिखने का आशय रखता था, 2569 रुपये लिख गया और क्रेता ने गलती को जानते हुये भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनुबन्ध व्यर्थ माना गया।

(य) विषय-वस्तु के परिणाम के सम्बन्ध में गलती (Mistake regarding quantity of subject matter) – विषय-वस्तु की मात्रा के सम्बन्ध में गलती होने से अनुबन्ध व्यर्थ हो जाता

है। उदाहरणत: एक दलाल ने अनुबन्ध के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रय-पत्र तथा क्रेता को विक्रय-पत्र सौंपा परन्तु दोनों में क्रय-विक्रय मात्रा अलग थी। अत: अनुबन्ध व्यर्थ माना गया।

(र) विषय-वस्तु के गुणों के बारे में गलती (Mistake regarding quality of subject matter)– विषय-वस्तु के गुण के सम्बन्ध में दोनों पक्षकारों के गलती होने की स्थिति में अनुबन्ध व्यर्थ होगा। रंजीत का विचार पुराना चावल क्रय करने का था किन्तु मुनीष का विचार नया चावल बेचने का था। अनुबन्ध की विषय-वस्तु के गुण के सम्बन्ध में दोनों पक्षकार एकमत न होने के कारण अनुबन्ध व्यर्थ है। यदि विक्रेता ने चावल का नमूना दिखाया होता तथा उसकी किस्म के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा होता तो अनुबन्ध वैध होगा।

टिप्पणी– उपर्युक्त प्रकार की समस्या साधारणत: वस्तुओं की बिक्री के सम्बन्ध में आती है और ऐसी दशा में 'क्रेता सावधान हो' का नियम लागू होता है अर्थात् विक्रेता स्वयं अपनी वस्तु की कमियाँ बताने के लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्रेता स्वयं अपने निर्णय पर निर्भर रहता हो। किन्तु यदि क्रेता खरीदते समय विशेष रूप से उसकी विशेषता या उसका ध्येय बतला देता है तो ऐसी दशा में विक्रेता का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह क्रेता को वैसी वस्तु उपलब्ध कराए और यदि वस्तुएँ मांग के विपरीत सिद्ध होती है तो अनुबन्ध व्यर्थ होगा।

3.5.2 गलती का प्रभाव (Effects of Mistake) :

1. जब अनुबन्ध के दोनों पक्षकार ही अनुबन्ध के किसी आवश्यक तथ्य-सम्बन्धी गलती पर है तो ठहराव या अनुबन्ध व्यर्थ है।

2. वैध ठहराव के लिए सहमति प्रथम है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में सहमति उस समय कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से राजी हों। यदि ठहराव में गलती हो तब प्रभाव स्वरूप दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत न हों। ऐसे ठहराव स्पष्ट सहमति होते हुये भी वास्तविक सहमति न होने के कारण व्यर्थ हो जाते हैं।

3. यदि किसी ठहराव के दोनों पक्षकार भारत में प्रचलित राजनियम के सम्बन्ध में गलती पर हैं तो अनुबन्ध व्यर्थनीय नहीं है।

4. तथ्य-संबंधी गलती पर आधारित अनुबन्धों के अन्तर्गत दिया गया धन वापस प्राप्त किया जा सकता है। धन देने वाले व्यक्ति के द्वारा उस जानकारी को जो उसे प्राप्त थी लाभ न उठाने की भूल उसे धन वापिस लेने से रोक नहीं सकती।

5. अनुबन्ध को सुधारना न्यायालय की शक्ति के बाहर है। किन्तु वह अनुबन्ध में लिखे गये भावों को सुधार सकता है। जब कोई अनुबन्ध पूर्णरूपेण निश्चित हो चुका है। किन्तु उसकी व्याख्याएँ ठीक नहीं लिखी गई है या भाव स्पष्ट व निश्चित प्रकट है नहीं होते तो न्यायालय उन्हें स्पष्ट व निश्चित कर सकता है।

4. सारांश (Summary)

पक्षकारों की सहमति का अर्थ है कि वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। अत: सहमति से तात्पर्य है कि अनुबन्ध की विषय-वस्तु के बारे में दोनों पक्षों के मस्तिष्क की पूर्ण एकरूपता। एक सहमति निम्न से प्रभावित नहीं हो तो यह स्वतंत्र कहलाती है : 1. बल प्रयोग, 2. अनुचित प्रभाव, 3. कपट, 4. मिथ्यावर्णन, 5. गलती।

भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना अथवा किसी पक्षकार की सहमति को रोकना या रोकने की धमकी देना बल प्रयोग कहलाता है। ऐसी स्थिति में जिस पक्षकार के विरूद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। अनुबन्ध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। इसी संदर्भ में अनुचित प्रभाव से आशय पक्षकारों में उन सम्बन्धों से है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है तथा यदि वह पक्षकार अपनी इस स्थिति का लाभ दूसरे पक्षकार से लाभ प्राप्त करने के लिए उठाता है तो कहा जाता है उसने अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया है। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध पीड़ित अथवा प्रभावित किये गए पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। कपट का अर्थ दूसरे पक्षकार को धोखा देना होता है। यदि एक पक्षकार अनुबन्ध के दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से जान-बूझकर तथ्यों को छिपाता है अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करता है तो इसे कपट माना जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबन्ध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय हो जाता है। इसके विपरीत यदि दूसरे पक्ष को धोखा देने के इरादे के बिना यदि एक पक्षकार दूसरे पक्ष को अनुबन्ध के एक महत्त्वपूर्ण तथ्य के बारे में अनजाने में असत्य वर्णन करता है या महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं करता है, तो इसे मिथ्यावर्णन माना जाता है। ऐसी स्थिति में भी अनुबन्ध व्यर्थनीय हो जाता है। गलती से आशय पक्षकारों में अनुबन्ध की विषय-वस्तु के बारे में सहमति का न होना होता है। गलती एक पक्षीय, द्विपक्षीय, अपने देश के कानून के बारे में अथवा दूसरे देश के कानून के बारे में हो सकती है। गलती की स्थिति में अनुबन्ध गलती की प्रकृति के अनुसार व्यर्थ अथवा व्यर्थनीय होता है।

5. प्रस्ताविक पुस्तकें (Suggested Readings) :

1. व्यापारिक सन्नियम : Dr. R.C. Chawla & K.C. Garg
2. व्यापारिक सन्नियम : Dr. S.C. Aggarwal
3. व्यावसायिक नियमन रूपरेखा : Dr. Ashok Sharma
4. व्यावसायिक नियमन रूपरेखा : S.M. Sukal & Sahai
5. व्यावसायिक नियमन रूपरेखा
6. Business Laws : Rohini Aggarwal

6. नमूने के लिए प्रश्न (Questions for Sample) :

1. स्वतंत्र सहमति से क्या आशय है? सहमति कब स्वतंत्र नहीं होती? अनुबन्ध में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।

   What is meant by free consent? When is consent not free? Discuss its importance in contracts?

2. प्रत्येक ठहराव का सार यह है कि दोनों पक्षों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट रूप से समझाइये।

   The essence of every agreement is that there ought to be free consent on both sides. Explain clearly what do you understand by free consent under the Indian Contract Act.

3. दो या अधिक व्यक्ति सहमत तब कहे जाते हैं, जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। इस कथन के अभिप्राय को उदाहरणों द्वारा समझाए।

   Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Explain the meaning of this statement with illustrations.

4. यह कहा जाता है कि एक वैध ठहराव के पक्षकार स्वतंत्र साधक होने चाहिए और किसी ठहराव के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के उन प्रावधानों की विवेचना करो जो कि स्वतंत्र सहमति के तत्वों को इंगित करते हैं।

   It is said that parties to a valid agreement must be free agents and that the consent of the parties to an agreement must be free. Discuss the provisions of the India Contract Act which lay down the essentials of free consent.

5. उत्पीड़न तथा प्रभाव में क्या भेद हैं? विवेचन करिए।

   What is the difference between coercion and undue influence? Discuss.

6. अनुचित प्रभाव क्या है? पूर्णतः समझाइए और बताइए कि यह नियम भारत में परदा करने वाली महिलाओं को किन परिस्थितियों में लागू होता है?

   What is Undue Influence ? Explain full and discuss in what conditions this rule applies to pardanishin ladies in India.

7. कपट की परिभाषा दीजिए। इसके क्या आवश्यक तत्व हैं? यह मिथ्या वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? कपट के प्रभावों को समझाइए।

   Define Fraud - what are its essentials elements? How does it differ from misrepresentation? Explain the effect of fraud.

8. कपट को परिभाषित करो और एक ठहराव की वैधता पर इसके प्रभावों को इंगित करो। इसके उत्तर उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट करिए।

   Define fraud and point out its effects on the validity of an agreement. Give suital example to illustrate your answer.

9. कपट का कानूनी अर्थ क्या है? सक्रिय छिपाव और मौन में क्या अन्तर है? इसमें से प्रत्येक अनुबन्ध की वैधता पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी विवेचना कीजिए। उपर्युक्त उदाहरण भी प्रस्तुत करो।

   What amounts fo fraud in law? Distinguish between active concealment and me silence. Discuss the effect of each of them on the validity of the contract. Give illustrative examples.

10. कपट तथा मिथ्यावर्णन में क्या अन्तर है? कपट के प्रभाव स्पष्ट रूप से लिखिए।

    What is the difference between fraud and mesrepresentation? Discuss the effect fraud.

11. निम्न में अन्तर दो : (Dsintinguish Between) –

(अ) उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव (Coercion and Undue Influence)

(ब) कपट और मिथ्या वर्णन (Fraud and Misrepresentation)

12. गलती से आप क्या समझते हो? अनुबन्ध की वैधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

What is mistake? How does it affect the validity of a contract?

13. संक्षिप्त टिप्पणियाँ दीजिए। (Write short notes on) –

(i) स्वतंत्र सहमति (Free Consent)

(ii) उत्पीड़न (Coercion)

(iii) अनुचित प्रभाव (Undue Influence)

(iv) अनुचित व्यवहार (Unconscionable Transaction)

(v) कपट (Fraud)

(vi) विधि की गलती (Mistake of Law)